A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

# छत्तीसगढ़ शासन
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

## पेयजल योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी परिपत्र

## (परिपत्र/आदेश एवं निर्देश) का संकलन

वर्ष–2000–2011

# विभागीय परिपत्र/आदेश/निर्देशों की सूची


| स. क्र. | आदेश क्रमांक एवं दिनांक | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | क्रमांक–322/पी.ए./प्र.अ./ भोपाल, दिनांक 05.10.2000 | तकनीकी परिपत्र क्रमांक–8/2000 (गर्मी के लिये पानी बचाने की दृष्टि से नये नलकूपों पर पावर पम्प न लगाने बाबत्। | 1–2 |
| 2 | क्रमांक–19/तक./2001/ रायपुर, दिनांक 04:01:2001 | हैण्डपंप योजनाओं के अंतर्गत खनित किए जा रहे नकलूपों का व्यास– 5 इंच (125 मि.मी.) के स्थान पर 6 इंच खनित करने के संबंध में। | 3–4 |
| 3 | क्रमांक/3210/त.शा/मु.अ./ लो.स्वा.यां.वि.2001/रायपुर, दिनांक 28.05.2001 | हैण्डपंप योजनाओं के अंतर्गत नलकूप खनन की गहराई 75 मीटर से अधिक कराने की स्वीकृति के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण बाबत्। | 5–6 |
| 4 | क्रमांक/7011/त.शा/प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि.2003/रायपुर, दिनांक 14.01.2003 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नगरीय जलप्रदाय योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाए जाने बाबत्। | 7–8 |
| 5 | क्रमांक 2007/अमुस/34–2/ 2003/रायपुर, दिनांक 26.09.2003 | स्वच्छता सप्ताह को पूर्वगामी सप्ताह में अर्थात 13 से 18 अक्टूबर 2003 तक टंकियों की सफाई का कार्यक्रम। | 9 |
| 6 | क्रमांक/5766/लेखा.शा/प्र.अ. /लो.स्वा.यां.वि./2004/रायपुर, दिनांक 24.06.2004 | समस्त मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं को विभागीय Webside पर दिये जाने बाबत्। | 10 |
| 7 | क्रमांक/6633/त.शा/ प्र.अ.लो.स्वा.यां.वि./2004/ रायपुर, दिनांक 26.07.2004 | पहुंच विहीन एवं अत्यंत कठिन पहुच वाले ग्रामों/स्थानों पर नलकूप खनन कार्य कराने के संबंध में निर्देश। | 11–12 |
| 8 | क्रमांक 01/व.नि.स./ प्र0अ0लो.स्वा.यां.वि./2005/ रायपुर, दिनांक 15.04.2005 | मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्योजन संबंधी पुस्तिका। | 13–14 |
| 9 | क्रमांक/10957/त.शा/प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./2005/रायपुर, दिनांक 25.10.2005 | आर.सी.सी. मिक्स डिजाइन के तकनीकी परिपत्र बाबत्। | 15 |
| 10 | क्रमांक 02/त.शा./प्र0अ0/ लो.स्वा.यां.वि./2005/रायपुर, दिनांक 19.12.2005 | ग्रेव्हल पैक नलकूप खनन हेतु दिशा निर्देश बाबत्। | 16–17 |
| 11 | क्रमांक/2058/त.शा/प्र.अ. /लो.स्वा.यां.वि./2006/ रायपुर, दिनांक 29.03.2006 | नलकूप स्थल पर नाली (Drain) निर्माण बाबत्। | 18 |

| स. क्र. | आदेश क्रमांक एवं दिनांक | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | क्रमांक/1981/त.शा./ प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./ रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2006 | हैण्डपंप प्लेटफार्म निर्माण के संबंध में। | 19–20 |
| 13 | क्रमांक/2285/त.शा./प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./06/रायपुर, दिनांक 0704/2006 | नलजल प्रदाय योजनाओं में उपयोग में लाये जा रहे PVC पाईप का ISI गुणवत्ता के होने का सुनिश्चित करने बाबत्। | 21–22 |
| 14 | क्र./3046/व.नि.स./प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./2006/ रायपुर, दिनांक 15.05.2006 | परिपत्र। (विभागीय दायित्वों के निर्वहन के संबंध में) | 23 |
| 15 | क्रमांक/3769/त.शा./प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./06 रायपुर, दिनांक 09/06/2006 | नलजल प्रदाय योजनाओं में उपयोग में लाये जा रहे CI/UPVC/ GI पाईप का ISI गुणवत्ता के होने का सुनिश्चित करने बाबत्। | 24–26 |
| 16 | क्र–1796/1656/34–2/06 रायपुर, दिनांक 11.07.2006 | शासकीय कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित करने के संबंध में। | 27 |
| 17 | क्र./5561/त.शा./प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./2006/ रायपुर, दिनांक 05.08.2006 परिपत्र। | (हैण्डपंपों/नकलूपों के आस–पास Platform निर्माण करने के संबंध में) | 28 |
| 18 | क्रमांक/एफ–3–1/06/ 34–2/04/रायपुर, | माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 22.08.06 चर्चा के परिप्रेक्ष्य में विभागीय कार्यवाही– 2000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों में (ऐसे ग्राम जहां नलजल प्रदाय योजना को क्रियान्वयन करने में व्यवहारिक कठिनाइयॉं है, को छोड़कर) समस्त ग्रामों में नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन जून 2008 तक करने संबंधी कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी। | 29 |
| 19 | क्र.–2727/एफ/11–9/06 /34–2/04 रायपुर, दिनांक 19/10/2006 | केन्द्रीय गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के तहत् जल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों से शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित योजनाओं के परीक्षण/तकनीकी निष्पादन हेतु राज्य स्तरीय स्कीम सेक्शनिंग समिति का गठन। | 30 |
| 20 | क्रमांक/8428/त.शा./प्र.अ. /लो.स्वा.यां.वि./06 रायपुर, दिनांक 26/12/2006 | ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के उच्च स्तरीय जलागारों/टंकियों का कलर ग्रे–स्नोसेम कलर किये जाने बाबत्। | 31 |

| स. क्र. | आदेश क्रमांक एवं दिनांक | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | क्रमांक / 38 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 07 / रायपुर, दिनांक 12 / 02 / 2007 | कार्य विभाग मेन्युवल 1983, भाग, भाग–1– नियम के पैरा क्रमांक 2083 के अनुसार ऐसी समस्त निविदायें जिनकी राशि रू. 25.00 लाख या अधिक है तथा समस्त लम्पसम निविदायें 03 लिफाफा पद्धति में बुलाई जाना। | 32 |
| 22 | क्रमांक / 656 / एफ–06 / 34–2 / 01 रायपुर, दिनांक 01.03.2007 | विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु प्रारूप निविदा आमंत्रण सूचना की स्वीकृति बाबत्। | 33 |
| 23 | क्रमांक / 537 / स. / लो.स्वा.यां.वि / 2007 / रायपुर, दिनांक 28.03.2007 | ग्रीष्म ऋतु तथा ग्राम सुराज अभियान 2007 में पेयजल समस्या के बारे में अपनाई जाने वाली रणनीति के संबंध में। | 34–35 |
| 24 | क्रमांक / 2790 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 07 रायपुर, दिनांक 03 / 04 / 2007 | 2000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की जलप्रदाय योजनाएँ तैयार करने बाबत्। | 36 |
| 25 | क्रमांक / 95 / नि.स / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2007 | परिपत्र। (नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के निविदा बुलाने बाबत्) | 37 |
| 26 | क्रमांक / 11 / आर–2287 / 06 / 34–2 / 02 / रायपुर, दिनांक 28 / 04 / 07 | आदेश। (नगरीय निकायों में पेयजल योजनाओं के निर्माण में संशोधित वित्तीय ढॉचा) | 38 |
| 27 | क्रमांक / 5819 / ले.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2007 / रायपुर, दिनांक 04.08.2007 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की पात्रता के मापदण्ड का निर्धारण बाबत्। | 39–41 |
| 28 | क्रमांक / 9915 / एम.आई.एस. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2007रायपुर, दिनांक 20.12.2007 | Adoption of e-procurement System पद 42–43 pilot Departments. | |
| 29 | क्रमांक / 196 / एफ–13–5 / 08 / 34–2 / 05 / रायपुर, दिनांक 24.01.2008 | ग्रामीण नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन। | 44 |
| 30 | पृ0क्रमांक / 1920 / एफ / 10–1 / 08 / 34–2 / 01 रायपुर, दिनांक 04.08.2008 | शासन से अनावश्यक पत्राचार न करने बाबत्। | 45 |
| 31 | क्रमांक / 207 / त.शा. / प्र.अ.लो.स्वा.यां.वि. / 08 / रायपुर, दिनांक 08 अप्रैल 2008 | आदेश छत्तीसगढ शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी Unified Schedule of rates for construction of tube wells & Allied work ( USOR) (को प्रभावित करने बाबत्) | 46 |

| स. क्र. | आदेश क्रमांक एवं दिनांक | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | क्रमांक / 5560 / त.शा. रायपुर, दिनांक 12.11.2008 | एक खण्ड से दूसरे खण्ड में सामग्रीयों के प्रदाय अथवा भुगतान हेतु उच्चाधिकारी की अनुमति लेने के संबंध में। | 47 |
| 33 | क्रमांक 63 /ES/E-in-C/PHED/ 09/ Raipur/dated 26.03.2009 | कार्यालयीन आदेश। (Double flange pipe s conforming to IS 1536.2001 बाबत्) | 48 |
| 34 | क्रमांक / 844 / एफ1–1 / 09 / 34–2 / 02 रायपुर, दिनांक 27 मई 2009 | विभागीय सामग्री क्रय करने हेतु क्रय नियमों का कड़ाई से पालन करने बाबत्। | 49 |
| 35 | क्रमांक / 156 / स्था.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09 / रायपुर, दिनांक 19.08.2009 | कार्यालयीन आदेश। (प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "Schedule of Rates for Building works 2009 with effect form 01.06.2009" को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में भवन कार्यो हेतु दिनांक 20.08.2009 से प्रभावशील) | 50 |
| 36 | क्रमांक / 5065 / त.शा. / फा.न. 247 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि.09 / रायपुर, दिनांक 05.09.09 | वाल्वस् के अनुमोदित मेक। | 51 |
| 37 | क्र. / 5168 / तक.शाखा–ऑडिट / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / रायपुर, दिनांक 11.09.2009 | परिपत्र। (छत्तीसगढ़ कार्य विभाग मैन्यूअल के परिशिष्ट 2.13 के खण्ड 11 (ख) के तहत ठेकेदारों द्वारा अक्षय प्रकृति की सामग्री स्थल पर जाये जाने पर सामग्री की सुरक्षा पर अग्रिम दिये जाने बाबत्।) | 52–53 |
| 38 | क्रमांक / 240 / व.नि.स. / प्र.अ. / तक.शा. / रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2009 | परिपत्र। (ग्रामीण / शहरीय जल प्रदाय योजनाओं एवं अन्य योजनाओं को समय–सीमा में पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।) | 54–55 |
| 39 | क्रमांक / 6482 / क्रय.शाखा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09 रायपुर, दिनांक 30.10.09 | हैण्डपंप संधारण हेतु तकनीकी स्वीकृति देने बाबत्। | 56 |
| 40 | क्रमांक / 1966 / एफ 6–3 / 09 / 34–2 / 02 रायपुर, दिनांक 14.12.2009 | सी.एस.आई.डी.सी. से सामग्री क्रय करने हेतु कार्यो विभागों के विभिन्न स्तर के अधिकारों का निर्धारण। | 57 |
| 41 | क्रमांक / 12 / एफ 9–3 / 34–2 / 03 / रायपुर, दिनांक 05.01.2010 | मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार। | 58–62 |
| 42 | क्र. / 3100 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 / रायपुर, दिनांक 30.04.2010 | परिपत्र। (अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore Wells) में बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं से बचने सुरक्षात्मक उपाय) | 63–64 |

| स. क्र. | आदेश क्रमांक एवं दिनांक | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | क्रमांक / 1933 / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2010 रायपुर, दिनांक 31.05.10 | जल प्रदाय योजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृत बाबत् संक्षेपिका का प्रारूप। | 65–67 |
| 44 | क्र. / 3808 / तशा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 / रायपुर, दिनांक 08 / 06 / 2010 | जलप्रदाय योजनाओं में पंपिंग मेन तथा जलवितरण पाईप लाईन के लिये बनाये जा रहे प्राक्कलन के संबंध में। | 68 |
| 45 | क्र. / 631 / एफ 13–1 / 201034–2 / 02 / रायपुर, दिनांक 09.09.2010 | आदेश। (निविदा एवं क्रय समिति का गठन) | 69–70 |
| 46 | क्रमांक / 6012 / ले.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 रायपुर, दिनांक 30.09.2010 | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकर जमा किये जाने के संबंध में। | 71–72 |
| 47 | क्रमांक / 420 / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2010 रायपुर, दिनांक 22.01.11 | निर्माण कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में वित्त निर्देश 45 / 2010 | 73–77 |
| 48 | क्र. / 2264 / टी.एस.सी. / प्र.अ.लो.स्वा.यां.वि. / 11 रायपुर, दिनांक 29 / 03 / 2011 | संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरण करने बाबत्। | 78 |
| 49 | क्रमांक 324 / 372 / 2011 / छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर | आदेश। (राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों का शीघ्र निर्माण एवं उपयोग हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग की घोषणा।) | 79 |
| 50 | क्रमांक / 825 एल / 6–6 / 2010 / वित्त / ब–4 / चार रायपुर, दिनांक 13 मई 2011 | नई सेवा / सेवा का नया साधन–निर्धारित वित्तीय सीमाओं में संशोधन। | 80–87 |
| 51 | क्रमांक / 3845 / तशा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 11 रायपुर, दिनांक 09 / 06 / 2011 | वर्षा ऋतु के प्रारंभ के पूर्व पेयजल प्रदाय व्यवस्था का उचित रख–रखाव हेतु दिशा निर्देश। | 88–89 |
| 52 | क्रमांक / 4829 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 11 रायपुर, दिनांक 01.08.2011 | शालाओं में जलप्रदाय व्यवस्था हेतु कम्पोजिट पाईपों का उपयोग के संबंध में। | 90 |
| 53 | अर्ध शास पत्र क्र. 94 , वि.वि.लो.स्वा.यां 201 दिनांक 06.08.2011 | संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने में तत्परता बरतने के निर्देश। | 91–92 |
| 54 | अर्ध शास पत्र क्र. 96, वि.वि.लो.स्वा.यां 201 दिनांक 06.08.2011 | विभिन्न कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में जारी स्थाई निर्देश के संबंध में। | 93–94 |

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# मध्यप्रदेश, भोपाल

## तकनीकी परिपत्र क्रं0 – 08/2000

क्रमांक 322/पी.ए./प्र0अ0/ भोपाल, दिनांक 05.10.2000

प्रदेश के अधिकांश जिलों में अत्यन्त कम वर्षा हुई हैं। 16 जिलों में 40 से 60 प्रतिशत अथवा और अधिक कम वर्षा हुई हैं।

प्रदेश में खरीफ की फसलों को भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया है तथा इन फसलों को बचाने के लिये कृषको ने भूजल का अधिकाधिक उपयोग किया हैं। रबी की फसल के लिये भी भूजल का अधिकाधिक उपयोग होने की संभावना हैं। इन परिस्थितियों में प्रदेश में भूजल स्तर काफी नीचे जाने की संभावना को देखते हुये यह उचित है कि गर्मी के लिये पानी बचाने की दृष्टि से नये नलकूपों में पावर पम्प नहीं लगाये जाये क्योंकि इससे स्थिति और गंभीर होगी। इसके साथ ही साथ सूखे नकलूपों में ब्लास्टिंग को हतोत्साहित किया जाये क्योकि ऐसा करने से नकलूपों की गहराई और कम हो जायेगी तथा भूजल स्तर नीचे जाने से इसका कोई लाभ नही मिलेगा।

जिन क्षेत्रों में ऐसे नलकूप चिन्हित कर लिये गये है जिनकी आवक क्षमता काफी अच्छी है परन्तु नलकूपों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्याधिक मात्रा में पायी गयी है ऐसे नलकूपों की 50 प्रतिशत आवक क्षमता कर पावर पम्प लगाकर इस पानी का उपयोग नहाने या कपड़े धोने के लिये (निस्तार कार्य हेतु) किया जा सकता हैं।

इन निर्देशों का पालन विभाग के सभी कार्यपालन यंत्री कठोरता से करें।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / प्र0अ0 / भोपाल, दिनांक 05.10.2000

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, नगरीय / ग्रामीण / एच0आर0डी0 / वि0यॉ0 कार्यालय प्रमुख अभियंता,
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल, इन्दौर, रायपुर, जबलपुर, ग्वालियर एवं वि0यॉ0 परिक्षेत्र, म0प्र0
5. अधीक्षण यंत्री, मॉनी0 / पाइंट रिचार्ज कार्यालय प्रमुख अभियंता.
6. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल

# छत्तीसगढ़ शासन,
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 19 /तक./2001/ रायपुर, दिनांक 04.01.2001

प्रति,

मुख्य अभियंता,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

छत्तीसगढ़ रायपुर।

**विषय :–हैण्डपंप योजनाओं के अंतर्गत खनित किए जा रहे नकलूपों का व्यास 5 इंच (125 मि. मी.) के स्थान पर 06 इंच खनित करने के संबंध में।**

–00–

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(अ) जिन गावों में एक भी 06 इंच व्यास वाले नलकूप नहीं है वहॉ पूर्व स्वीकृति के आधार पर एक 06 इंच व्यास वाला नलकूप खनन किया जाए। गांव में शेष नलकूप 5 इंच व्यास के ही खनन किए जाए।

(ब) विभाग केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई ग्रामों की सूची का पुनः परीक्षण करें तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार से संशोधन का अनुमोदन प्राप्त करें।

उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित है कि शासन के निर्णय समस्त कार्यपालन यंत्रियों को अवगत कराते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा प्रगति से शासन को अवगत कराये।

संलग्न : शून्य।

–सही–
**(एम0के0राउत)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय, रायपुर

क्रमशः ...2...

पृ0क्रमांक / 20 / तक / 2001 रायपुर, दिनांक 04.01.2001

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर को मंत्रि परिषद आदेश आयटम क्रमांक 02 / दिनांक 26 / दिसम्बर–2000 तथा यू.ओ. टीप क्र. 09 / जीएडी / 2001 / सात / 2–ए / दिनांक 02.01.2001 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

–सही–

**(एम0के0 राउत)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय, रायपुर

## कार्यालय मुख्य अभियंता,
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## रायपुर, परिक्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक / 552 / त.शा / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2001 रायपुर, दिनांक 30.01.2001

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परियोजना / मैकेनिकल मण्डल.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड / परि. खण्ड / मैके. खंड..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :–

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर, परिक्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

## :: आदेश ::

क्रमांक / 3210 / त.शा / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2001 / रायपुर, दिनांक 28.05.2001

विभाग में खनित किये जा रहे 75 मीटर से अधिक गहराई के नलकूपों के प्रकरण, कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा समय--समय इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते रहे है। शासन द्वारा दिनांक 18 / 04 / 2001 को दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुए, विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को अब ये अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं।

भविष्य में खनित किये जाने वाले अथवा खनित नलकूप (75 मीटर से अधिक गहरे) पर अंतिम निर्णय कार्यपालन यंत्री अपने स्तर पर लेवेंगे। चिन्हांकित क्षेत्रों में जहॉ 90 मीटर से अधिक गहराई के नलकूप खनन आवश्यक होगें वहॉ खनन के पूर्व स्थल की भौगोलिक, भू--गर्भीय संरचना एवं ग्राम में पूर्व में खनित नलकूपों की गहराई, अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं भूजल विद् की परामर्श से कार्यवाही किया जाना चाहियें।

यहॉ यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि चिन्हांकित क्षेत्रो में नलकूप का प्राक्कलन बनाते समय संबंधित क्षेत्र में नलकूपों की औसत गहराई का ध्यान रखते हुए प्राक्कलन बनाया जावे एवं तदानुसार राशि मांगी जावे ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे।

उपरोक्त निर्णय के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित पैरा की सत्यप्रति आपके मार्गदर्शन हेतु संलग्न हैं।

--सही--
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 3211 / त.शा / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2001 रायपुर, दिनांक 28.05.2001

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, को उनके कार्यालय नोटशीट क्रमांक 349 / एफ. / पी.एम.–1 / दिनांक 20.04.2001 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय डी.के. भवन, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय डी.के. भवन, रायपुर का नोटशीट क्रमांक 1327 / दिनांक 14.05.2001 पर दिये गये निर्देशानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परियोजना मण्डल, रायपुर / दुर्ग / जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ ..... खण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अतिरिक्त प्रति, लेखा शाखा, स्टेनो शाखा, कार्यपालन मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

–सही–
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 7011 / त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2003 / रायपुर, दिनांक 14.01.2003

प्रति,

1. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   रायपुर मंडल रायपुर
2. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   .....खंड .....

**विषय :–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नगरीय जलप्रदाय योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाए जाने बाबत्।**

–00–

प्रदेश की समस्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराये जाने बाबत् शासन ने निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश हैं।

1. योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो इस हेतु आवश्यक है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं या भविष्य में क्रियान्वयन की जाने वाली नगरीय जलप्रदाय योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जावें।
2. इन योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पाईप की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जावे, जिससे जलप्रदाय योजनाये पूर्ण होने के 4–5 वर्षो में ही पाईप फट जाने आदि के कारण योजनाओं के अनुपयोगी हो जाने से बचा जा सकें।
3. विभाग द्वारा पाईप की खरीदी आवश्यकतानुसार ही की जाए, आवश्यकता से अधिक पाईप क्रय न किए जाए। ए.सी. या अन्य सीमेन्ट पाईप के स्थान पर जी.आई. / सी.आई. / डी.आई. पाईप का उपयोग किये जाने के संबंध में परीक्षण कर पाईप का प्रकार निर्धारित किया जावें।

4. इसी प्रकार नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण के पश्चात कुछ वर्ष तक उनका संधारण भी विभाग करे ताकि योजनाओं के पूर्ण होने के तत्काल पश्चात जो तकनीकी या अन्य खराबी सामने आती हैं। उनका सुधार विभाग द्वारा ठीक प्रकार से किया जा सकें। नगरीय निकायो द्वारा इन योजनाओं को पूर्ण होने के कम से कम 3 वर्ष बाद ही हस्तांतरित किया जाए। ऐसे संधारण हेतु योजना प्रस्ताव में आवश्यक प्रावधान अवश्य करें।

उपरोक्त निदर्शों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करे तथा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 7012 / त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2003 रायपुर, दिनांक 14.07.2003

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय को उनके ज्ञापन क्रमांक 1453 दिनांक 05.07.2003 की संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहमति हेतु प्रेषित। दिनांक 25.06.2003 को मंत्रि परिषद में संपन्न चर्चा बाबत् मुख्य सचिव की प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
3. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों के संबंध में आवश्यक अभिमत एवं सहमति से अवगत करायें।

संलग्न :— क्रमांक 2 एवं 3 को उपरोक्तानुसार।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

**छत्तीसगढ़ शासन,**

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**

**मंत्रालय, रायपुर**

क्रमांक 2007/अमुस/34–2/2003/ रायपुर, दिनांक 26.09.2003

प्रति,

प्रमुख अभियंता,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

रायपुर।

**विषयः–स्वच्छता सप्ताह को पूर्वगामी सप्ताह में अर्थात 13 से 18 अक्टूबर 2003 तक टंकियों की सफाई का कार्यक्रम।**

–00–

विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई जल प्रदाय योजनाओं से उच्चस्तरीय टंकी एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अवयव है, जिसके माध्यम से नागरिकों को उपचारित पेयजल प्राप्त होता हैं। अतः उपयोग में लायी जा रही टंकीयों का स्वच्छ होना अति आवश्यक हैं। विगत वर्ष भी टंकीयों के सफाई हेतु आदेश दिये गये थे, परंतु आदेशों का पालन कितना हुआ इसकी जानकारी मंत्रालय को नहीं दी गई।

उसी अनुवर्तन में इस वर्ष भी 13 से 18 अक्टुबर 2003 तक सभी टंकियों की सफाई का सप्ताह मनाया जाए। इसमें सभी नगर निगमों के अंतर्गत पेयजल टंकियों की सफाई का कार्यक्रम रखा जाये। इसी प्रकार नगर पालिका एवं नगर पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल एवं थलजल योजनाओं के अंतर्गत बनी टंकियों की सफाई कराई जाए।

सभी टंकियों का नंबरिंग किया जाए तथा इस बारे में एक कम्प्यूटर प्रोग्राम संधारित कराया जाए। इस प्रोग्राम में कौन–सी टंकी को किस तारीख को साफ कराया गया है अंकित कर राज्य शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया जाए। साथ ही, संबंधित टंकियों पर भी उसकी सफाई की तारीख को पेन्ट कराया जाए तथा सफाई के लिए निर्धारित अगली तिथि भी अंकित कराई जाए।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन हेतु सुनिश्चित करें।

–सही–

अपर मुख्य सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 5766 / लेखा.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2004 / रायपुर, दिनांक 24.06.2004

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   .....मंडल
2. कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   खंड / परि खण्ड / भू–जल संवर्धन खण्ड / मैके खण्ड

**विषय :–समस्त मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं को विभागीय Webside पर दिये जाने बाबत्।**

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के समस्त मण्डल एवं खण्ड कार्यालयों द्वारा समय–समय पर आमंत्रित की जाने वाली निविदायें एवं संशोधनों को विभागीय Webside पर दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है यह अत्यंत खेद का विषय हैं।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि आमंत्रित निविदायें एवं संशोधन आवश्यक रूप से विभागीय Webside पर दी जाना आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाये अन्यथा निविदा स्वीकृति पश्चात कार्य करवाये जाने पर ली गई आपत्ति हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न :– शून्य।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 5767 / लेखा.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2004 / रायपुर, दिनांक 24.06.2004

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक /  /त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 04 /  रायपुर, दिनांक .....

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
खंड.....

**विषय :–पहुंच विहीन एवं अत्यंत कठिन पहुच वाले ग्रामों / स्थानों पर नलकूप खनन कार्य कराने के संबंध में निर्देश।**

–00–

जैसा की आपको विदित है कि उपरोक्त स्थानों में परसेंट दर निविदा से खनन कराये जाने वाले नलकूपों के खनन कार्य की लागत सामान्य आयटम दर से खनन किये जाने वाले नलकूपों की लागत की तुलना में बहुत अधिक आती हैं। यदि बिना प्लानिंग एवं बिना प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये ऐसे नलकूप खनन कराये जाते है तो वित्तीय घाटे बजट की व्यवस्था बिगड़ जाती है। अतः ऐसे नलकूप खनन के संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है, कृपया इनका कड़ाई से पालन किया जावें।

1. निविदा पर पंहुच विहीन या अत्यंत कठिन पहुंच वाले जिन ग्राम / स्थानों पर नकलूप खनन कराना हो, उनका प्रस्ताव विस्तृत रिपोर्ट एवं पहुंच संबंधी स्कैच मैप भेज कर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावें। जिससे कि मुख्यालय स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध रहे कि ऐसे कार्य के लिए कितनी अतिरिक्त धन राशि व्यय होगी।
2. ऐसे नलकूप खनन के कार्य प्रथम विभागीय मशीन से कराने के लिये कार्यपालन अभियंता (वि. / यॉ.) खंड को आबंटित किये जावे। यदि विभागीय मशीन स्थल पर नहीं पहुंच सकती तो साईट पहुंचने का कारण दर्शाये वाली कार्यपालन अभियंता (वि. / यॉ.) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ऐसे कार्यो की निविदायें बुलाई जावें। यह रिपोर्ट कार्यपालन अभियंता(वि. / यॉ.) साइट आबंटन के एक माह के अंदर संबंधित कार्यपालन अभियंता सिविल को उपलब्ध करावेगें।
3. निविदा सूचना का अनुमोदन कराने के लिए अधीक्षण अभियंता निविदा प्रारूप की दो प्रतियॉ मुख्यालय में प्रस्तुत करें। उसका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही निविदा बुलायी जाय।
4. निविदा सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाइड तथा राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय अखबारों में अवश्य कराया जावें। यह प्रकाशन निविदा फार्म इशू करने का करने की अंतिम तारीख से कम से कम 20 दिन पहले अखबारों में छप जावें यह सुनिश्चित किया जावे। निविदा सूचना का प्रकाशन वेबसाइड में तथा अखबारों में ग्राम का नाम, प0ह0न0, नलकूप खनन का स्थान अवश्य दर्शाया जाय। निविदा फार्म इसू के समय फार्म के साथ कार्य के सूची और कार्यो के लोकेशन तथा पहुंच संबंधी स्केच मैप अवश्य संलग्न किये जावें।



क्रमश.2.

5. नलकूप कार्य किस मशीन से किया गया हो उसका प्रकार पंजीयन नम्बर माप पुस्तिका में अंकित किया जाय। नलकूप खनन कार्य किस तारीख से किस तारीख तक किया गया है यह भी माप पुस्तिका में स्पष्ट लिखा जाय।

6. इस प्रकार पहुंच विहीन एवं अत्यंत कठिन पहुंच वाले स्थालों पर कार्य कराने की दरे कार्य विशेष, स्थल विशेष एवं पहुंच तथा स्ट्रेटा विशेष की स्थिति के लिये होने के कारण इनकी दरें सामान्य नलकूप जिनकी दरें विकासखंडवार आमंत्रित की जाती है से बहुत अधिक होती हैं। अतः पहुंच विहीन एवं विशेष कठिन पहुंच वाले कार्यो के अनुबंधो में किसी नलकूप का सहयोजन न किया जावें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें।

संलग्न :– शून्य।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 5767 / लेखा.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2004 /
रायपुर, दिनांक 24.06.2004

प्रतिलिपि :–

1. सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (वर्क्स) कार्यालय महालेखाकार, रायपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि खंडों के लेखा अंकेक्षण में इस बात का परीक्षण अवश्य किया जावे कि इस पत्र में जारी निर्देशो का पालन किया जा रहा है या नहीं।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / वि0यॉ0 मण्डल रायपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराने जिम्मेदारी का निर्वाह करें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (वि0 / यॉ0) खंड.....
की ओर निर्देशों के पालनार्थ।

संलग्न :– शून्य।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

## —: परिपत्र :—

क्रमांक 01 / व.नि.स. / प्र0अ0 / लो.स्वा.यां. / 2005 रायपुर, दिनांक 15.04.2005

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्योजन संबंधी पुस्तिका "बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995 भाग–दो" तैयार कर दिनांक 01 नवम्बर, 1995 से प्रभावशील किया गया है। ज्ञात हो कि संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 22 / 2000, दिनांक 04.11.2000 के तहत मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका, 1995 भाग–1 एवं भाग–2 को छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रभावशील किया हैं। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सतर्कता कोष्ठ) की अधिसूचना क्रमांक एफ–2 / छ–2 / प्र.स.को. / 83, दिनांक 17 जनवरी 1984 के तहत' वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल, 1983" को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, के लिए दिनांक 01 फरवरी 1984 से लागू किया गया था।

बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995, भाग–दो लागू होने के पश्चात शेष सभी पूर्व के प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार जो किसी भी विभाग विशेष को प्रत्यायोजित किये गये हो, को दिनांक 01 नवम्बर 1995 से समाप्त माना गया हैं। तात्पर्य है कि पूर्व में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लागू " मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल, 1983" के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार शासन द्वारा समाप्त किये जा चुके हैं। तत्संबंधी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जी–17 / 01 / 95 / सी / चार, दिनांक 05 अक्टूबर 1995 की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

अतः एतद् द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाता हैं कि बुक ऑफ फाइनेन्शियल पावर्स, 1995, भाग–1 एवं भाग–2 में प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अतिरिक्त शेष सभी पूर्व प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों जो कि "मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल, 1983" आदि में प्रदत्त है, को प्रयोग में न लाया जाय।

—सही—

**(बी.एन. राय)**

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 3719 / व.नि.स. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2005 / रायपुर, दिनांक 15.04.2005

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर मण्डल रायपुर, मण्डल जगदलपुर, बिलासपुर मण्डल बिलासपुर, वि0यॉ0 मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इस परिपत्र में उल्लेखित तथ्यों को अपने अधीन पदस्थ सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (सहायक अभियंताओं) के ध्यान में लाने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपारोक्तानुसार।

–सही–
**(बी.एन. राय)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

## —: तकनीकी परिपत्र :—

क्रमांक / 10957 / त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2005 /  रायपुर, दिनांक 25.10.2005

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   परिक्षेत्र— रायपुर / बिलासपुर
2. अधीक्षण अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मंडल— रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग
3. कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

.....

**विषय :—आर.सी.सी. मिक्स डिजाइन के तकनीकी परिपत्र बाबत्।**

—00—

विषयांतर्गत यह महसूस किया गया है कि विभाग में विभिन्न ग्रेड के कांक्रीट का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है किन्तु इनमें मिक्स डिजाइन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि हमारे बदलते हुए पर्यावरणीय वातारण के कारण कांक्रीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अच्छी रूपांकन पद्धति का विकास विभाग में ही हो। इसके लिए वर्तमान में आई.एस. कोड की मानक पद्धति से मिक्स डिजाइन किया जा रहा हैं। इस तकनीकी परिपत्र के साथ मिक्स डिजाइन की मानक पद्धति आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। कृपया इसका अध्ययन करें एवं विभाग में मिक्स डिजाइन की पद्धति विकसित करें। मिक्स डिजाइन से प्राप्त परिणामों को कार्यस्थल पर भी समुचित निगरानी के साथ कड़ाई से अपनाएँ जिससे निर्माण कार्य में उपयोग की गई कांक्रीट की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

## —: परिपत्र :—

क्रमांक 02 /त.शा./प्र0अ0/लो.स्वा.यां.वि./ रायपुर/05 दिनांक 19.12.2005

**विषयः— ग्रेव्हल पैक नलकूप खनन हेतु दिशा निर्देश बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्य हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाते है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दिये गये निर्देशानुसार ग्रेवल पैक नलकूप खनन नीति निम्नानुसार होगी :—

ग्रेव्हल पैक नलकूप खनन की नीति :—

1. खण्ड कार्यालय में समिति बनेगी जिसमें कार्यपालन यंत्री सिविल/मेके. एवं जिले के सहायक अभियंता, (सिविल) एवं मेकेनिल तथा मानचित्रकार शामिल रहेगें। वे ग्रेव्हल पैक नलकूप की सूची की छानबीन करेंगे।
2. पूर्व खनित नलकूपों की गहराई केसिंग पाइप की लंबाई, नलकूपों का प्रकार सहित विवरण प्रस्तुत करेंगे। उनके द्वारा बनाई गई चयनित सूचि के आधार पर कार्य योजना बनाई जावेगी जिसमें वि./यॉ. एवं सिविल संकाय द्वारा किये जाने वाले कार्यो का पृथक से उल्लेख होगा। कार्य योजना में शामिल सूची में समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होगें।
3. खनन केवल लूज स्ट्टा तक सीमित रहेगा।
4. हैण्डपंप के लिये ग्रेव्हल पैक बोर की अधिकतम गहराई 45 मीटर रखी जावें। यदि आवश्यक हो तो इसे अधीक्षण अभियंताओं की पूर्व अनुमति के आधार पर 60 मीटर तक बढ़ाया जा सकेगा।
5. ग्रेव्हल का क्रय विभाग द्वारा किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा।
6. ग्रेव्हल पैक नलकूप में लगने वाले ग्रेव्हल का श्रोत ठेकेदार द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक होगा। विभाग द्वारा इस श्रोत से प्राप्त ग्रेव्हल का टेस्ट कराया जावेगा।
7. जी.आई.पाईप/यू.पी.व्ही.सी पाइप/स्ट्रेनर का क्रय/हैण्डपंप सेट एवं पावर पंप सभी के दर अनुबंध (Rate Contract) सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से होना चाहियें।

उक्त निर्देशो का पालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 3719 / व.नि.स. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2005 / रायपुर, दिनांक 15.04.2005

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित खण्डों को निर्देशित करें कि वे उपरोक्त निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल ...../ वि0यॉ0 मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, प्रशासन / रूपांकन / कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,(सिविल / मेके.).....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. लेखा शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की आरे सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

संलग्न :– क्रमांक 3 एवं 5 के लिये।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 2058 / त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2006 / रायपुर, दिनांक 29.03.2006

प्रति,

समस्त कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
खंड.....

**विषय :—नलकूप स्थल पर नाली ( Drain ) निर्माण बाबत्।**

—00—

प्रदेश के existing नलकूप स्थलों पर मार्गदर्शिका में प्रावधाननुसार 3 मीटर लम्बाई की नाली (Drain) का निर्माण किया गया हैं। 3 मीटर की लम्बाई कम होने के फलस्वरूप नलकूप स्थल के आसपास पानी भरजाने के कारण गन्दगी हो जाती हैं। जिससे नलकूप में प्रदुषण होने की संभावना बनी रहती है तथा गन्दगी के कारण मच्छरों एवं कीड़े मकोड़ो के कारण बीमारियॉ फैलने की संभावना बनी रहती हैं।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि existing नलकूपों की नालीयों (Drain) को आसपास Natutal Drain तक निर्मित करने की कार्यवाही की जावें। इस कार्य हेतु आवश्यक प्राक्कलन बनाकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जावे। यह कार्य सी.एस.पी. के संधारण मद से किया जावे।

इस प्रकार भविष्य में निर्मित किये जाने वाले नलकूपों पर भी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। साथ ही वर्तमान चालू अनुबंधों में भी नाली बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार लम्बाई की नाली लेते हुए पुनरिक्षित प्राक्कलन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करलें।

संलग्न :— शून्य।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / / त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2006 / रायपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र— रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अम्बिकापुर एवं जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :— शून्य।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर

क्रमांक/1981 प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./ रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

प्रति,

समस्त कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
.....छत्तीसगढ़।

**विषय :–हैण्डपंप प्लेटफार्म निर्माण के संबंध में।**

–00–

नलकूप खनन करने वाली एजेन्सी को हैण्डपंप लगाने के अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण का कार्य दिया जाता है, परंतु यह देखने में आया है कि प्लेटफार्म की गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होती हैं, इससे जहां पेयजल के प्रदुषण का खतरा बढ़ जाता है, वहीं स्तरहीन प्लेटफार्म बनने से विभाग की छबि खराब होती हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि –

1. प्रत्येक निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा कार्यादेश के अनुरूप बनाए जाने वाले प्लेटफार्म में से प्रथम प्लेटफार्म संबंधित सहायक अभियंता अपने समक्ष उपस्थित रहकर बनायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लेफार्म की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार रहे। प्रभारी सहायक अभियंता यह प्रमाणित करेंगे कि प्लेटफार्म उनके समक्ष निर्मित किया गया हैं।

2. प्रायः यह देखा गया है कि प्लेटफार्म के साथ निर्मित होने वाली नाली की लम्बाई 3 मीटर बनाकर छोड़ दी जाती है तथा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि पानी की निकासी ठीक तरह से हो रही है या नहीं। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जावे कि प्लेटफार्म के साथ निर्मित किए जाने वाली नालियों की लम्बाई इतनी हो कि हैण्डपंप के आसपास अथवा गलियों में पानी का जमाव न हो। यथासंभव ये नालियां, अन्य निर्मित नालियों से मिलाई जावें अथवा प्राकृतिक ढलान के अनुसार अतिरिक्त जल को दूर तक सुरक्षित निकासी हो। तद्नुसार प्राक्कलन में प्रावधान किया जावें।

3. ऐसे हैण्डपंप जो मुख्य मार्गो में स्थापित है तथा जिनके प्लेटफार्म टूट–फूट गए है अथवा जिन्हें पुनर्निर्मित किया जाना आवश्यक हो, उनकी सूची तथा प्राक्कलन सहित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किए जावें। इनमें स्थानीय आवश्यकतानुसार पर्याप्त लम्बाई के नालियों का प्रावधान रखा जावें।

क्रमश.2..

विभाग का दायित्व शुद्घ पेयजल उपलब्ध कराना है। पेयजल दूषित न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक हैं। अतः प्लेटफार्म निर्माण संबंधी उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 1982 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. /
रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर / बिलासपुर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़।

2 अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, अम्बिकापुर / रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अम्बिकापुर एवं जगदलपुर (बस्तर) छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक /  /त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./06  रायपुर, दिनांक  /04/2006

प्रति,

1. श्री.....
   अधीक्षण अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   .....
2. श्री .....
   कार्यपालन अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
   .....

**विषय :–नलजल प्रदाय योजनाओं में उपयोग में लाये जा रहे PVC पाईप का ISI गुणवत्ता के होने का सुनिश्चित करने बाबत्।**

**संदर्भः– माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, का निर्देश दिनांक 01/04/2006**

–00–

मुझे ऐसी शिकायत मिला है कि नलजल प्रदाय योजनाओं के लिये उपयोग में लायी जा रही PVC पाईप का ISI मानक के नहीं होते है। स्वयं माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ने दिनांक 01.04.2006 को इस बात पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है कि नलजल प्रदाय योजनाओं में लगाये जा रहे PVC पाईप की मोटाई कम होती हैं। जिससे टूट–फूट की आशंका हमेशा बनी रहेंगी एवं संचालन संधारण में भी इससे तकलीफ होगी।

यहॉ मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि PVC पाईप का ISI मापदण्ड के ही होने चाहिए क्योकि योजनाओं में उपयोग में लायी जा रही PVC पाईप अन्य गुणवत्ता के ही होने चाहिये इस बात की सुनिश्चितता विभाग के सभी स्थल अभियंता गण कर लेवे एवं नमूने के तौर पर इसका सेम्पल भी उपखंडों में रखा जावे जिसका अवलोकन में अपने प्रवास के दौरान करना चाहूंगा एवं शिकायत मिलने पर सम्बधित शिकायतकर्ता से भी अवलोकन कराया जा सकता है। इसके लिये भविष्य में निम्नलिखित प्रकार से चेक करने की प्रक्रिया अपनायी जावें।

1. उपयंत्री एवं सहायक यंत्री 100% कार्यो का चेक करेंगे। कितने पाईप की मोटाई चेक किये एवं ISI के मुताबिक कितना होना चाहिये तथा कितना–कितना मिला MB में स्पष्ट पुस्तिका में अंकित करेंगे।

2. कार्यपालन अभियंता कम से कम 10% पाईपों की मोटाई चेक कर माप पुस्तिका में अंकित करेंगे।
3. अधीक्षण अभियंता भी अनिवार्य रूप से 5% पाईपों की मोटाई चेक कर माप पुस्तिका में अंकित करेंगे।
4. सभी योजनाओं के 30 से.मी. लम्बाई की एक–एक पाइप विभिन्न व्यास के सेम्पल के रूप में उपखंडों में रखे।

इसके उपरान्त यदि स्थल अभियंताओं द्वारा गलती की जाती है तो वे स्वयं अपने ऊपर होने वाली कार्यवाही के लिये जिम्मेदार होंगे। कृपया टीप कर लेवे कि विभाग की गरिमा के प्रतिकुल किसी भी प्रकार की कार्यवाही सहन नहीं की जावेंगी।

–सही–
**(आर0एन0 गुप्ता)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र./ 2286/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2006/ रायपुर, दिनांक 07.04.2006

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की ओर सूचनार्थ कृपया माननीय मंत्री जी महोदय को इससे अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, (सिविल) वि./यॉ. विभाग, रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालन करवाने हेतु अग्रेषित।
4. कलेक्टर जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ..... की ओर सूचनार्थ।
6. श्री .....सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, .....,की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

–सही–
**(आर0एन0 गुप्ता)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

## —: परिपत्र :—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, में प्रमुख अभियंता के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कई बार मुझे विभागीय दायित्वों के निवर्हन में सीधे अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार निर्देश देकर जनहित के कार्यो का सम्पादन कराने हेतु बाध्य होना पड़ता है। जब इस प्रकार का निर्देश संबंधितों को दिशा जाता है, तब उन्हें निर्देश पालन के साथ–साथ अपने नियंत्रक अधिकारी को इस संबंध में मौखिक अथवा लिखित रूप में अनिवार्य रूप से सूचित करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1) (दो) में भी उल्लेखित है कि कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कर्त्तव्यों के पालन करने के पश्चात यथासंभव शीघ्र उस निर्देश का लिखित पुष्टिकरण प्राप्त करेगा। फिर भी बहुतायत अधिकारी इन निर्देशों से विमुख रहते है, जिसके कारण दिग्भ्रमित की स्थिति निर्मित हो जाती हैं। अतः विभाग के समस्त अधिकारियों से अपेक्षा है, कि अपने उत्तरदायित्वों में खरे उतरे एवं मेरे द्वारा सीधे निर्देश दिये जाने पर उसका पालन करते हुए तत्काल वस्तुस्थिति से अपने नियंत्रक अधिकारी को अवगत करावें।

—सही—
**(आर0एन0 गुप्ता)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र./3046/व.नि.स./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2006/ रायपुर, दिनांक 15.05.2006

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं कड़ाई से पालन हेतु अग्रेषित। कृपया आपके अधीनस्थ कार्यरत उप अभियंताओं को तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. इस कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं शाखा प्रमुख की ओर सूचनार्थ।

—सही—
**(आर0एन0 गुप्ता)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 3769 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 06 रायपुर, दिनांक 09 / 06 / 2006

प्रति,

1. श्री .....
अधीक्षण अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
.....

2. श्री .....
कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
.....

**विषय :–नलजल प्रदाय योजनाओं में उपयोग में लाये जा रहे CI/UPVC/ GI पाईप का ISI गुणवत्ता के होने का सुनिश्चित करने बाबत्।**

**संदर्भः– माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का निर्देश दिनांक 18 / 05 / 2006**

–00–

मुझे ऐसी शिकायत मिला है कि नलजल प्रदाय योजनाओं के लिये उपयोग में लायी जा रही CI/ UPVC/GI पाईप का ISI मानक के नहीं होते है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ने दिनांक 18.05.2006 को इस बात पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है कि नलजल प्रदाय योजनाओं में लगाये जा रहे पाईप की मोटाई कम होती हैं एवं इसका वनज भी कम होते हैं। इससे टूट–फूट की आशंका हमेशा बनी रहेंगी एवं संचालन संधारण में भी इससे तकलीफ होगी। पाईपों को देखने से ही लगता है कि ये निर्धारित गुणवत्ता के नहीं हैं।

यहॉ मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि CI/UPVC/GI पाईप का ISI मापदंण्ड के ही होने चाहिए। योजनाओं में उपयोग में लायी जा रही CI/UPVC/GI पाईप उच्च गुणवत्ता के ही होने चाहिये। इस बात की सुनिश्चितता विभाग के सभी स्थल अभियंता गण कर लेवे एवं नमूने के तौर पर इसका सेम्पल भी उपखंडों में रखा जावे जिसका अवलोकन में अपने प्रवास के दौरान करना चाहूंगा एवं शिकायत मिलने पर सम्बधित शिकायतकर्ता से भी अवलोकन कराया जा सकता है। इसके लिये भविष्य में निम्नलिखित प्रकार से चेक करने की प्रक्रिया अपनायी जावें।

1. उपयंत्री एवं सहायक यंत्री 100% कार्यो का चेक करेंगे। कितने लम्बाई के एवं कितने पाईप की मोटाई चेक किये एवं ISI के मुताबिक कितना होना चाहिये तथा कितना–कितना मिला डठ में स्पष्ट पुस्तिका में अंकित करेंगे। पाईप का वनज भी प्रति मीटर की मापदण्ड से निकाल कर अंकित करेंगे।

2. कार्यपालन अभियंता कम से कम 10% पाईपों की मोटाई तथा व्यासवार लम्बाई चेक कर माप पुस्तिका में अंकित करेंगे। पाईप का वजन एवं मोटाई ISI के मापदण्ड से तुलनाकर माप पुस्तिका में अंकित करेंगे। इसमी मोटाई एवं वजन बाबत टीप देंगे।
3. अधीक्षण अभियंता भी अनिवार्य रूप से कुल कार्यादेश का 10% चेक कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
4. सभी योजनाओं के 30 से.मी. लम्बाई की एक–एक पाइप विभिन्न व्यास के सेम्पल के रूप में उपखंडों में रखे।
5. CI स्पेशल्स, CI वाल्वस्, CI/UPVC/GI फिटिंग्स के लिये भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हुए इसकी जॉच की जावें।
6. यदि प्रदाय किये गये पाईप में DGS&D या अन्य ऐजेन्सी का निरीक्षण लगा हो तो इससे संतुष्ट न होव। आप स्वयं निरीक्षण करे एवं सत्यापित करे कि पाईप की गुणवत्ता ISI मापदण्ड अनुरूप हैं।

प्रदेश स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण हेतु दो टीमें गठित की गई है। जो किसी भी समय बिना किसी सूचना के जाकर निरीक्षण करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी ग्राम सुराज अभियान के दौरान एवं दन्तेवाड़ा में प्राधिकरण की बैठक में पाइपों की गुणवत्ता बनाये रखते हुए निर्देश दिये थे।

कृपया टीप करे कि यदि पाईप गलत पाये जाते है तो आपको किसी निरीक्षण ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये सर्टिफिकेट भी आपकी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकते। इसके बावजूद यदि अभियंता गण घटिया सामान स्वीकृत करते है तो अपनी गोपनीय चरित्रावली के लिये भी घटिया श्रेणी का मतांकन लेकर अपने उपर होने वाली कार्यवाही के लिये तैयार रहे। कृपया ध्यान देवे कि किन्ही भी परिस्थितियों में विभाग की गरिमा के प्रतिकुल किसी भी प्रकार की कार्यवाही से समझौता नही किया जावेगा।

–सही–
**(आर0एन0 गुप्ता)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमश...3...

पृ0क्र./ 3770/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2006/ रायपुर, दिनांक 09.06.2006

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की ओर सूचनार्थ कृपया माननीय मंत्री जी महोदय को इससे अवगत करावें।
3. मुख्य अभियंता,(सिविल) रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालन करवाने हेतु अग्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, (वि./यॉं.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता, (रूपांकन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. कलेक्टर जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/नगरपालिका .....की ओर सूचनार्थ।
8. श्री .....सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, .....,की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

–सही–
**(आर0एन0 गुप्ता)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 1656 / 34–2 / 06 रायपुर, दिनांक 11.07.2006

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय–रायपुर।

**विषय :–शासकीय कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित करने के संबंध में।**

**संदर्भ :–1.अवर सचिव, छ0ग0, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. 1065 / 1161 / 06 / 01 / दिनांक 26.06.2006 एवं पत्र क्र. 1115 / 1161 दि. 07.07.06**
**2.प्रमुख अभियंता, रायपुर का पत्र क्रमांक 73 / निस / प्र.अ. / दि. 10 जुलाई 06**

–00–

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियंता के सदर्भित पत्र (प्रति संलग्न है) द्वारा कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां.खंड, जांजगीर चांपा के पत्र दिनांक 10.07.2006 की प्रति भेजी है, जिसमें कार्यपालन अभियंता द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक 03.05.2006 को चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड, नवागढ़ के ग्राम सुखली, पेण्ड्री, बोडसरा, कि पुटपुरा में नलजल योजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा गया था एवं आमंत्रण पत्र उनके द्वारा ही छपवाये गये थे एवं बांटे गये थे। शिलान्यास कार्यक्रम शासकीय आयोजन नहीं था, इस प्रकार का उल्लेख कार्यपालन अभियंता ने अपने पत्र में किया हैं।

विभागीय अधिकाारियों को यह चाहिए कि विभाग से संबंधित इस प्रकार के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायक से संपर्क कर उन्हें भी आमंत्रित करने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करें। प्रमुख अभियंता को यह निर्देश जारी किए जा रहे है कि भविष्य में इस प्रकार के विभागीय कार्यक्रमों मे शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए क्षेत्रीय विधायक को भी आमंत्रित करें। इस प्रकार की कार्यवाही करने हेतु विभाग के समस्त कार्यपालन अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं मुख्य अभियंताओं को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

–सही–
(नारायण सिंह)
सचिव,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक / / त.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2006 / रायपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अम्बिकापुर एवं जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड.....
इस सभी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हे कि विभागीय योजना के शिलान्यास एवं उद्घाटन संबंधी शासकीय कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्रीय विधायकगणों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जावे। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व मान. विधायकगणों से संपर्क कर योजना के बारे में उन्हे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जावें।

(नारायण सिंह)
सचिव,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

## —: परिपत्र :—

Decision taken in the meeting held on inter Sectoral Convergence between in the Department of Drinking Water Supply and department of Health and Family Welfware on 29.03.2006. It was pointed out that in the absence of a platform around a tube well or hand pump, water get contaimination and causes out break or waterborne diseases. It is, therefore, necessary that platforms are invarably constructed around a tube well/hand pump.

विभाग में निर्धारित स्पष्ट प्रक्रिया के साथ–साथ उपरोक्तानुसार प्रक्रिया भविष्य में अपनाई जाना सुनिश्चित की जावें। निर्देशानुसार हैण्डपंपों/नलकूपों के आस–पास Platform निर्माण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करना संबंधित कार्यपालन अभियंता का दायित्व होगा।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करना कार्यपालन अभियंता की जिम्मेदारी होगी।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र./5561/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2006/ रायपुर, दिनांक 05.08.2006

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की ओर सूचनार्थ कृपया माननीय मंत्रीजी को इससे अवगत करावें।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर/दुर्ग/ बिलासपुर /अम्बिकापुर एवं जगदलपुर वि.यॉ. मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय

क्रमांक /  /एफ–3–1/06/34–2/04  रायपुर, दिनांक 24.08.2006

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर।

**विषय :–माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 22.08.06 को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में विभागीय कार्यवाही– 2000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों में (ऐसे ग्राम जहां नलजल प्रदाय योजना को क्रियान्वयन करने में व्यवहारिक कठिनाइयॉं है, को छोड़कर) समस्त ग्रामों में नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन जून 2008 तक करने संबंधी कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी।**

–00–

विषयांतर्गत दिनांक 22.08.2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिन मुख्य–मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा हुई है, उसमें 2000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों में (ऐसे ग्राम जहां नलजल योजना का क्रियान्वयन करने में व्यवहारिक कठिनाइयॉं हैं, को छोड़कर) समस्त ग्रामों में नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन जून 2008 तक करने संबंधी कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही भी सम्मिलित हैं।

आप ऐसी समस्त योजनाओं का प्रस्तुतीकरण, बजट में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव, तथा क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तत्काल बनाकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

–सही–
**(नारायण सिंह)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक /  /एफ–3–1/06/34–2/04/2213  रायपुर, दिनांक 24.08.2006

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर/बिलासपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अम्बिकापुर एवं जगदलपुर।

समस्त कार्यपालन अभियंताओं को भी इस हेतु समुचित निर्देश जारी किए जावें।

–सही–
**(नारायण सिंह)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय
## / /आदेश / /

क्रमांक/ /एफ 11–9/06/34–2/04 रायपुर, दिनांक 10/2006

राज्य शासन एतद् द्वारा भारत सरकार की पुनरीक्षित (जलगुणवत्ता) मार्गदर्शिका जो सचिव भारत सरकार पेयजल आपूर्ति विभाग (राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) के अर्द्धशासकीय पत्र के W-11012/02/05 T.M.-II दिनांक 21.03.2006 द्वारा जारी की गई है, के पैरा 1.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार केन्द्रीय गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के तहत् जल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों से शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित योजनाओं के परीक्षण/तकनीकी निष्पादन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

| क्र. | अधिकारी का पद | वर्तमान पदस्थाना | समिति का पद |
|---|---|---|---|
| 1. | सचिव | छ0ग0 शासन, लोक स्वा.यां.विभाग, मंत्रालय–रायपुर | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख अभियंता | लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर | सदस्य सचिव |
| 3. | मुख्य अभियंता | लोक स्वा. यां. विभाग, परिक्षेत्र, रायपुर | सदस्य |
| 4. | मुख्य अभियंता | लोक स्वा. यां. विभाग, परिक्षेत्र, बिलासपुर | सदस्य |
| 5. | उप सचिव | छ.ग. शासन, लोक स्वा. यां. विभाग, मंत्रालय, रायपुर | सदस्य |
| 6. | अधीक्षण अभियंता(रूपांकन) | कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा. यां. विभाग, रायपुर | सदस्य |
| 7. | प्रतिनिधि | केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, रायपुर | सदस्य |
| 8. | प्रतिनिधि | नीरी, नागपुर | सदस्य |
| 9. | प्रतिनिधि | भारत सरकार, ग्रा.वि. मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली | सदस्य |

यह समिति केन्द्रिय गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित समस्त योजनाओं का परीक्षण कर इनका तकनीकी निष्पादन/स्वीकृति प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

–सही–
**(नारायण सिंह)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक/ /एफ–3–1/06/34–2/04/2213 रायपुर, दिनांक 24.08.2006

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, पेयजल आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली,
2. प्रतिनिधि, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, रीना अपार्टमेन्ट पचपेड़ी नाका, रायपुर।
3. प्रतिनिधि, नीरी, नागपुर (NEERI)
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर/बिलासपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, (रूपांकन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर।
7. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय– रायपुर।

–सही–
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 8428 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 06 रायपुर, दिनांक 26 / 12 / 2006

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
.....

**विषय :–ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के उच्च स्तरीय जलागारों / टंकियों का कलर ग्रे–स्नोसेम कलर किये जाने बाबत्।**

**संदर्भः– पूर्व में समय–समय पर दिये गये निर्देश।**

–00–

ग्रामीण एवं नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के उच्चस्तरीय जलागारों / टंकियों में ग्रे–स्नोसेम कलर किये जाने बाबत् कई बार निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके उपरांत अभी भी अनेक स्थानों के टंकियों में पीला रंग / गुलाबी रंग आदि दिखाई दे रहे हैं जो एक बरसात के बाद धुल जावेगा एवं इसके अलावा नई टंकियों में भी इसी प्रकार के रंग किये जा रहे है जो अनुचित एवं सर्वथा निर्देशों की अवहेलना हैं।

अतः इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि तत्काल निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जावें।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 8429 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 06 रायपुर, दिनांक 26 / 12 / 2006

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, मण्डल ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, के निज सहायक कार्या0 प्रमुख अभियंता, लो0स्वा0यां0वि0, रायपुर।
4. लेखा शाखा / तकनीकी शाखा (सरकूलर फाईल)।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 38 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 07 रायपुर, दिनांक 12 / 02 / 2007

## —: परिपत्र :—

कार्य विभाग मेन्युवल 1983, भाग, भाग—1—नियम के पैरा क्रमांक 2083 के अनुसार ऐसी समस्त निविदायें जिनकी राशि रू. 25.00 लाख या अधिक है तथा समस्त लम्पसम निविदायें तीन लिफाफा पद्धति में बुलाई जाना चाहिए। ऐसी निविदाओं में अमानत राशि का लिफाफा "ए" एवं शर्तो का लिफाफा "बी" खोलने के उपरांत अधीक्षण अभियंता, द्वारा ठेकेदारों के विचार सुनकर कामन सेट ऑफ कन्डीशन्स बनाई जायेगी एवं ठेकेदारों की कामन सेट ऑफ कन्डीशन्स के आधार पर पुनरीक्षित आफर, यदि कोई हो, देने निर्देशित किया जावेगा। ऐसी निविदाएं यदि बिना शर्त की भी हो तो भी निविदाओं का वित्तीय आफर यथा स्थित मण्डल कार्यालय में खोली जावेगी।

उपरोक्त प्रावधान से यह स्वतः स्पष्ट है कि निविदा खोलने की तिथि का निर्धारण कर मण्डल कार्यालय में निविदाएं खोली जाना चाहिए। किसी भी लागत की समस्त लम्पसम निविदायें चाहें सशर्त हो अथवा निशर्त हो, मण्डल कार्यालय में ही खोली जाये L इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन किया जायें।

सहपत्र :— शुन्य।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र. / 1247 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2007 / रायपुर, दिनांक 12.02.2007

प्रतिलिपि :—

1. निज, सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र— रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड....., की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
   लेखा शाखा।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

क्रमांक / 656 / एफ– / 06 / 34–2 / 01 रायपुर, दिनांक 01.03.2007

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

**विषय :–विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रारूप निविदा आमंत्रण सूचना की स्वीकृति बाबत्।**

–00–

विषयांतर्गत शासन स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रण सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इन निविदा आमंत्रण सूचनाओं में कार्यों के तकनीकी एवं प्रशासकीय अनुमोदन का उल्लेख नहीं होता हैं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों हेतु जारी की जा रही विभिन्न निविदाओं में तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार ही कार्यों का उल्लेख हो। इसके साथ ही प्रारूप निविदाओं पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति कार्य विभाग के नियमावली के पैरा क्रमांक 2.080 के अनुसार सक्षम अधिकारी कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हैं। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हेतु संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने वाले एवं नियंत्रक अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

**(नारायण सिंह)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक / / एफ –/ 06 / 34–2 / 01 / रायपुर, दिनांक /02/20

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर / बिलासपुर।
2. अधीक्षण अभियंता एवं प्रोजेक्ट इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, कार्यालय रायपुर
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अम्बिकापुर एवं जगदलपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु प्रेषित।

–सही–
**(नारायण सिंह)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# छत्तीसगढ़ शासन

## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

## मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक /  / स. / लो.स्वा.यां. / 07 /  रायपुर, दिनांक 28.03.2007

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

जिला .....

छत्तीसगढ़,

**विषय :–ग्रीष्म ऋतु तथा ग्राम सुराज अभियान 2007 में पेयजल समस्या के बारे में अपनाई जाने वाली रणनीति के संबंध में।**

–00–

पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा 15 मार्च 2007 से 30 मार्च 2007 तक हैण्डपंपों के संधारण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि हैण्डपंपों को ग्रीष्म ऋतु में सुचारू रूप से संचालित रखा जा सकें। प्रमुख अभियंता द्वारा इस संदर्भ में दिनांक 06.03.2007 को परिपत्र जारी किया गया है। इस परिपत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता होने पर विकासखण्ड स्तर पर एक वाहन 15 दिनों के लिए कलेक्टर द्वारा स्वीकृत पद पर किराये से लेने की अनुमति दी गई है तथा इसमें व्यय होने वाली राशि ARWSP मद में प्राप्त आबंटन का 10 प्रतिशत की सीमा तक करने की भी अनुमति सम्मिलित हैं।

2. विभाग द्वारा पेयजल समस्या के समाधान के लिए पूर्व से ही रणनीति अपनाई जा चुकी है, इसमें माह मार्च तक तथा अप्रैल से जून तक आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार की व्यवस्था की जा चुकी हैं :–

(i) माह जून 2007 तक लगने वाले हैण्डपंपों की खरीदी एवं जिला स्तर पर उसके भंडारण की व्यवस्था।

(ii) हैण्डपंपों के मरम्मत तथा देखरेख में लगने वाले सभी प्रकार के स्पेयर पार्टस की खरीदी एवं उसके भंडारण की व्यवस्था।

(iii) सभी प्रकार के पाईपों की खरीदी एवं भण्डारण की व्यवस्था।

3. विभाग स्तर पर जिलों की आवश्यकता माह जून तक आंकलन कर सभी प्रकार की सामग्रियों की पूर्ति के लिए अग्रिम खरीदी एवं भण्डारण की व्यवस्था की गई है तथा जानकारी के अनुसार सामग्रियों को निरन्तर पूर्ति की जा रही हैं। इस वर्ष किसी भी स्थिति में यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सामग्री के अभाव में हैण्डपंप या नल जल योजना बंद पड़ा हैं, इसकी सुनिश्चितता पहले ही किया जा चुका हैं।

4. विभाग के मैदानी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि पूर्व में खोदे स्त्रोत में किसी भी हालात में 30 मार्च तक हैण्डपंप लगाए जाएं। साथ ही साथ प्लेट फार्म बनाये जाए। बिना प्लेटफार्म बनाये किसी भी ठेकेदार को भुगतान न किया जाए, इस प्रकार के निर्देश दिए है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया है कि भविष्य में खोदे जाने वाले स्त्रोंतो में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाए।

5. सामग्री पूर्ति में यदि आपके जिले में कोई कठिनाई या कमी मिलती है तो कृपया तत्काल प्रमुख अभियंता को उसकी सूचना देवें, जिससे कि सामग्री की पूर्ति तत्काल की जा सकें।

6. ग्राम सुराज अभियान दिनांक 04.04.2007 से 12.04.2007 तक प्रारंभ होने जा रहा है। मैदानी अमलों के ग्राम में भ्रमण के समय मुख्यतः जो शिकायतें आती हैं उसमे बंद / खराब हैण्डपंप को चालू करना,

क्रमशः...2...

नए बोर मे हैण्डपंप लगाया तथा पुराने हैडपंप में जंहा पानी की मात्रा कम हो जाती है आवश्यकतानुसार राईजर पाइप लगाये जाने की मांग आती हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व से ही व्यवस्था की गई हैं। कृपया आप अपने जिले की स्थिति को इस संदर्भ में समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।

7. इसके अलावा विभाग द्वारा ग्रामीण नल जल योजना का भी संचालन किया जा रहा है। उसमें हो सकता है कुछ योजना बिजली बिल नहीं पटाने के कारण अथवा अन्य तकनीकी कारण से बंद पड़ी हो। इस संबंध में भी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर इस समस्या के निदान के लिए कलेक्टर से सतत् संपर्क में रहें। चूंकि योजना के संधारण की जिम्मेदारी पंचायतों को सौपी गयी है, इसलिए आवश्यक है कि यदि कोई योजना किन्हीं कारण से बंद पड़ी हो तो उसको चालू करने के लिए पंचायतों को उपलब्ध कराई गई मूलभूत राशि के उपयोग के संबंध में कलेक्टर के मार्गदर्शन पर विचार किया जा सकता हैं। प्रगतिरत् नल जल योंजना के बारे में सभी कार्यपालन अभियंता को यह निर्देशित किया गया है कि वे प्रमुखता के आधार पर इन योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करने की व्यवस्था करे, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्रदाय की सुनिश्चितता की जा सकें।

8. नगरीय पेयजल योजना के बारे में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस संबंध में स्थानीय नगर–निकायों के साथ–साथ विभाग के अमलों को भी सतर्कता एवं समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृपया नगरीय जल प्रदाय योजनाओं की भी सतत् निगरानी रखें, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो।

–सही–
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक/53/स./लो.स्वा.यां./07/ रायपुर, दिनांक 28.03.2007

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर।
3. प्रभारी सचिव, समस्त जिला.....
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर/बिलासपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, समस्त जिला .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

## कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 2790 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 07 रायपुर, दिनांक 03 / 04 / 2007

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर।

**विषय :–2000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की जलप्रदाय योजनाएँ तैयार करने बाबत्।**
**संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र0–11312 / त.शा. / दिनांक 11.11.2005**

–00–

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपके परिक्षेत्र के अंतर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों नलजल प्रदाय योजना जिसमें नलजल योजना संचालित नहीं है का निम्नांकित मापदण्डों के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. पर्याप्त जल क्षमता का स्त्रोत उपलब्ध हो।
2. स्त्रोत जल गुणवत्ता से प्रभावित न हो।
3. संबोधित ग्राम पंचायत की सहमति हो।
4. संबंधित ग्राम में बिजली की व्यवस्था हों।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 2791 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 07 रायपुर, दिनांक 05 / 04 / 2007

प्रतिलिपि :–

1 अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, मण्डल रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / जगदलपुर / अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, .....की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि विषयांतर्गत योजनायें तत्काल तैयार करवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित माध्यम से भेजने की कार्यवाही करें।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 95 / नि.स / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. /  रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2007

**—: परिपत्र :—**

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के निविदा बुलाते समय अथवा निविदा प्रकरण इस कार्यालय को भेजते समय योजना के ऐसे अवयवों जैसे—पंपिगमेन, टंकी ड्रिस्ट्रीब्यूशन की निविदा पहले भेज दी जाती है एवं ट्रीटमेंट प्लांट, इंटेकवेल की निविदा हेतु कार्यवाही बाद में की जाती हैं। यह स्थिति व्यवहारिक रूप से योजना के हित में नहीं हैं।

अतः निर्देश दिए जाते है कि सर्वप्रथम इंटेकवेल, ट्रीटमेंट प्लांट रॉ—वाटर की व्यवस्था के लिए निविदा प्रकरण बुलावें एवं इस कार्यालय को निविदा प्रकरण भेजें। इसकी स्वीकृति उपरांत ही शेष अवयवों की निविदा की स्वीकृति पर कार्यवाही की जावेगी।

इस निर्देश को गंभीरता से किया जावे एवं तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावें।

—सही—
(आर.एन.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र. / 3430 / नि.स. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2007 /  रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2007

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र— रायपुर / बिलासपुर।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, / प्रोजेक्ट इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल. ..... .....छत्तीसगढ़।
4. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड....., छत्तीसगढ़।

—सही—
(आर.एन.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय
## //आदेश//

क्रमांक/11/आर–2287/06/34–2/02 रायपुर, दिनांक 28/04/07

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में पेयजल योजनाओं के निर्माण में संशोधित वित्तीय ढॉचा राज्य शासन का अनुदान योजना लागत का 70% (सत्तर) एवं राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों का ऋण अथवा नगरीय निकायों द्वारा स्वयं की आय के स्त्रोतों से योजना लागत का 30% (तीस) धनराशि दिनांक 01.04.2006 (1 अप्रैल 2006) से लागू करता हैं।

उपरोक्त आदेश मंत्रिपरिषद आदेश दिनांक 06 फरवरी 2007, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के यु.ओ. क्रमांक 35/सी.एस./707/सीएबी/दिनांक 12.02.2007 एवं वित्त विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित यू.ओ. क्रमांक 11922/28.02.2007 द्वारा दी गई सहमति के परिपालन में जारी किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(नारायण सिंह)**
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक/ /एफ–3–1/06/34–2/04/2213 रायपुर, दिनांक 24.08.2006

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की ओर मान. मत्री जी को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग की यू.ओ. जावक टीप क्रमांक 11922/28.02.07 के तारतम्य में सूचनार्थ।
4. सचिव, छ0ग0 शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक, नगरीय निकाय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
9. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

–सही–
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

## कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 5819 / ले.शा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2007 / रायपुर, दिनांक 04.08.2007

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   परिक्षेत्र– रायपुर / बिलासपुर
2. अधीक्षण अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मंडल .....
3. कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   खंड.....

**विषय :– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की पात्रता के मापदण्ड का निर्धारण बाबत्।**

**संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1729 / एफ–10–1 / 07 / 34–2 01 / रायपुर दिनांक 27.07.2007**

–00–

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर के संदर्भित पत्र से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए समस्त नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के विभिन्न अवयवों हेतु वांछित अनुभव की शर्त एवं ठेकेदारों की निविदा क्षमंता के निर्धारण हेतु पारदर्शिता एवं एकरूपता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की पात्रता मापदण्ड का निर्धारण किया गया हैं। यह निर्देश जारी होने की तिथि से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिये प्रभावशील होगा। शासन के उक्त पत्र की छायाप्रति आपको संलग्न की जा रही हैं। शासन के निर्देशानुसार भविष्य में समस्त नगरीय जल प्रदाय योजनाओं हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में संदर्भित पत्र में उल्लेखित शर्तों का उल्लेख किया जावें।

संलग्न :– एक।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक / 1729 / एफ–10–1 / 07 / 34 / 01 रायपुर, दिनांक 27.07.2007

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर

**विषय :–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की पात्रता के मापदण्ड का निर्धारण बाबत्।**

–00–

विषयांतर्गत आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए समस्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के विभिन्न अवयवों हेतु वांछित अनुभव की शर्त एवं ठेकेदारों की निविदा क्षमता के निर्धारण हेतु पारदर्शिता एवं एकरूपता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की निम्नानुसार पात्रता मापदण्ड का निर्धारण किया जाता है।

1. **पंजीयन** :–
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ में उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन आवश्यक है। विशिष्ट प्रकृति (Specillised nature) के कार्य / कार्यो हेतु संबंधित प्रकृति के विशिष्ट श्रेणी / श्रेणियों में पंजीयन आवश्यक हैं।

2. **कार्य का निष्पादन क्षमता** :–
कार्य निष्पादन क्षमता = AxMx2.0
Where
(A) = पिछले 5 वर्षो में किये गये कार्य की अधिकतम राशि(10%अधिभार प्रतिवर्ष सहित)
(N) = कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि (वर्षो में)

3. **कार्य का अनुभव** :–
स्वयं के नाम पर अथवा फर्म एवं कंपनी के नाम पर कार्य का कम से कम सामान्यतः 50 प्रतिशत मात्रा का निविदाकार को अनुभव होना चाहिए। निविदा में दर्शित कार्यो की आधी मात्रा के कार्य की गणना का आंकलन निम्नानुसार होगा।

4. **विगत 5 वर्षो में** :–

अ. **इंटकेवल / जेक वेल** :– इस कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र सामान्यतः इंटेकवल / जेकवेल का व्यास दर्शाते हुए दिया जाता हैं। अतः निविदा में दर्शित इंटेकवेल के आंतरिक व्यास के आधे आंतरिक व्यास के इंटेकवेल के निर्माण का अनुभव।

ब. **पंपिंग स्टेशन** :– निविदा में उल्लेखित हेड एवं डिस्चार्ज के लिए आवश्यक किलोवाट से कम से कम आधी क्षमता के किलोवाट के पंपिग सेट्स का अनुभव। प्रस्तावित पंपिग सेट्स एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक विद्युत सब–स्टेशन की आधी क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापना का सफलतापूर्वक निर्माण पूर्ण करने का अनुभव।

क्रमश...2...

स. **जलशुद्धिकरण संयंत्र** :– निविदा में जल शुद्धिकरण संयंत्र अथवा जल मल शुद्धिकरण संयंत्र की दर्शित क्षमता की कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता के जलशुद्धिकरण संयंत्र के निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव।

द. **उच्चस्तरीय जलागार** :– निविदा में दर्शित उच्चस्तरीय जलागार की क्षमता से कम से कम आधी क्षमता के उच्चस्तरीय जलागार का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिए। यदि निविदा में एक से अधिक उच्चस्तरीय जलगार हो तो ऐसी स्थिति में निविदा में दर्शित संख्या से आधी संख्या का एवं अधिकतम क्षमता के जलागार से 50 प्रतिशत क्षमता का सफलतापूर्वक निर्माण का अनुभव। 100 किलोलीटर क्षमता तक के लिए उच्चस्तरी टंकी निर्माण के अधीन विभाग में उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु पंजीकरण पर्याप्त होगा।

इ. **स्टील पाईप लाईन्स** :– निविदा में दर्शित कम से कम आधे व्यास की पाईप लाईन के प्रदाय एवं बिछाने का सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव।

फ. **डी.आई.सी.आई.एवं पाईप लाइन्स** :– किसी एक अनुबंध के अंर्तत निविदा में दर्शित पाईप लाईन के अधिकतम व्यास के कम से कम 50% व्यास के न्यूनतम 50% लंबाई के अथवा निविदा दस्तावेज में दर्शित पाईप लाईन कार्य के राशि से 50 प्रतिशत राशि का (10 प्रतिशत अधिभार प्रतिवर्ष सहित) एक अनुबंध के अंतर्गत करने का अनुभव। 200 मि.मी. व्यास तक के पाईप लाईन कार्य के लिए पंजीकरण पर्याप्त होगा।

**विशेष टीप** :–विशेष परिस्थितियों में निविदाओं में आर्हता, मापदण्ड एवं शर्ते शासन से अनुमति के पश्चात प्रमुख अभियंता द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. यह निर्देश जारी होने की तिथी से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए प्रभावशील माना जावेगा।

**(याकुब खेक्स)**
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक/53/स./लो.स्वा.यां./07/ रायपुर, दिनांक 28.03.2007

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ0ग0शासन, मंत्रालय रायपुर की ओर अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर/बिलासपुर/परियोजना अभियंता, (मुख्य अभियंता के अधिकार प्राप्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 9915 / एम.आई.एस. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2007 / रायपुर, दिनांक 20.12.2007

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड / परि.खंड / वि0यॉ0 खंड,
.....

**विषय :–Adoption of e-procurement System in pilot Departments.**
**संदर्भः– मुख्य सचिव, राज्य छत्तीसगढ़ शासन, का पत्र क्रमांक 246 / मु.स. / 07 / दिनांक 10.12. 2007(छायाप्रति संलग्न)**

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत e-procurement हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को pilot विभागों में शामिल किया गया हैं। तदानुसार मुख्य सचिव, राज्य छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रूपये 20.00 लाख एवं उससे ऊपर की समस्त निविदाओं हेतु e-procurement system को adopt किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 9916 / एम.आई.एस. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2007 / रायपुर, दिनांक 20.12.2007

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र– रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, .....मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. शाखा प्रभारी, तकनीकी शाखा / लेखा शाखा / सामान्य शाखा कार्यालय प्रमुख अभियंता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# OFFICE OF CHIEF SECRETARY
# GOVERNMENT OF CHHATTISHGARH
# DKS BHAVAN, MANTRALAYA, RAIPUR

No./246/CS/2007 Raipur / 5 December 2007

To,

1. Additional Chief Secretary (Industries)
   Principal Secretary ( Water Resources)
   Secretary (Public Works) secretary ( Public Heath Engineering)/
   Secretary ( Health)/ Managing Director (CSIDC)
   Government of Chhattishgarh
2. E-in-C (Public Works/ Water Resources / Public Health Engineering)
   Director ( Health Services / Medical Education)

**Sub :-** Adoption fo e-Procurement System in Pilot Department.
**Ref. :-** (1) Letter No. 107/CS/2006 dated 28th May 2006.
(2) Letter No. 60/CS/2007 – Chips dated 22nd August 2007

~***~

Further to the above mentioned letters, it has been decided that the Public Works Department, Water Resources Department, Public Health Engineering Department and Health Department shall hence forth mandatory adopt the e-Procurement system for all their tenders worth Rs. 20 Lakhs and above in order to derive the complete potential and benefit of the e-Procurement system being implemented in the State of Chhattishgarh.

The Chhattishgarh State Industrial Development Corporation (CSIDC) shall adopt the e-Procurement system for all their tenders and upload the existing Rate Contracts on the e-Procurement portal in a month/s time.

—Sd—
**( Shivraj Singh)**
Chief Secretary
Government of Chhattishgarh

Endt. No. / CS/2007/ Raipur, December 2007

**Copy to :-**

1. All Members of Empowered Committee for kind information.

—Sd—
**( Shivraj Singh)**
Chief Secretary
Government of Chhattishgarh

**छत्तीसगढ़ शासन**

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**

**मंत्रालय**

**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001**

क्रमांक/196/एफ– 13–5 /08/34–2/05 रायपुर, दिनांक 24.01.2008

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर।

**विषय :–ग्रामीण नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन।**

**संदर्भ :–1. छ0ग0 शासन, लो.स्वा.यां.विभाग, का आदेश क्र. 596/स/लोस्वायांवि./04/दिनांक 01.10.2004**

**2. आपका पत्र क्रमांक 6203/क्रय/प्रअ/लोस्वायांवि/07/दिनांक 25.08.07**

–00–

कृपया विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 01.10.2004 एवं आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त ज्ञापन का अवलोकन करें। चूँकि भण्डार क्रय नियम 2002 की परिशिष्ट (01) में सम्मिलित कतिपय आरक्षित सामग्रियों हेतु दरें छ0ग0 राज्य इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा निर्धारित की गई है, अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता हैं कि इस संबंध में कार्रवाई करते समय छ0ग0 राज्य इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा जिन सामग्रियों हेतु दरें निर्धारित की गई है, उन समस्त सामग्रियों के संदर्भ में भण्डार क्रय नियम 2002 के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय न किया जाए।

–सही–
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक/ /एफ–13–5/08/34–2/05 रायपुर, दिनांक /01/2008

प्रतिलिपि :–

1 विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

–सही–
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**

**मंत्रालय**

क्रमांक/ /एफ 16/08/34–2/04 रायपुर, दिनांक /08/2008

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र –बिलासपुर/रायपुर।

**विषयः– शासन से अनावश्यक पत्राचार न करने बाबत्।**

**संदर्भः– 1. आपका पृष्ठ. पत्र क्र. 2540/दिनांक 19.06.2008, 2565, 2566, 2568, 2567, 2569, 2570, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2596, 2597, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603,/दि. 20.06.2008/2747, 2748,/दि. 03.07.08, 2843, 2847,/14.07.08**

**2. शासन का पृष्ठांकित क्रमांक 1582/दिनांक 16.06.08**

–00–

कृपया विभाग के पृष्ठांकित पत्र दिनांक 16.06.2008 का अवलोकन करे, जिसमें शासन से अनावश्यक पत्राचार न किये जाने के निर्देश दिये गये थे। शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पुनः विभिन्न पत्रों की प्रतियां शासन को भेजी गई हैं। कृपया स्पष्ट करें कि शासन को उपरोक्त पत्र किस उद्देश्य से पृष्ठांकित किये गये हैं। भविष्य में शासन को जो भी पत्र पृष्ठांकित किये जावें, उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि शासन से आप क्या चाहते हैं। भविष्य के लिए आपके अधिनस्थ मैदानी कार्यालयों को भी आवश्यक निर्देश जारी करें कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय शासन को पृष्ठांकित किये जावे। जिसकी सूचना शासन को देना आवश्यक हो अथवा शासन से कोई निर्देश मार्गदर्शन अपेक्षित हो।

–सही–
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक 1920/एफ10–1 /08/34–2/01 रायपुर, दिनांक 04/08/2008

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। मैदानी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करें।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/ अम्बिकापुर। भविष्य में जो भी पत्र शासन को पृष्ठांकित किये जावे, उनमें प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जावें।

–सही–
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

## कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 207 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 08 / रायपुर, दिनांक 08 अप्रैल 2008

# कार्यालयीन आदेश

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी Unified Schedule of rates for construction of tube wells & Allied work ( USOR 17 May 2002 संशोधनों सहित) विभागीय आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 1597 / सचिव / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / 04 दिनांक 01.10.2004 द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील किया गया था।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा उपरोक्त यू.एस.ओ.आर. को पूर्णतः संशोधित करते हुए नवीन यू.एस.ओ.आर. 25 जुलाई 2008 से लागू किया हैं जिससे वर्तमान लागू एस.ओ.आर. स्वमेव निष्प्रभावशील हो गया हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे 25 जुलाई 2008 से मध्यप्रदेश में उपरोक्त नवीन Unified Schedule of rates for construction of tube wells and allied work को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ में अनुकूलन करते हुयें प्रभावशील किया जाता हैं।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र. / 207 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 08 / रायपुर, दिनांक 08 अप्रैल 2008

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर / (वि. / यॉ.) रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, .....की ओर सूचनार्थ।
6. लेखा / तकनीकी / एम.आई.एस.शाखा / कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग,रायपुर।
7. कार्यालयीन आदेश।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# रायपुर, परिक्षेत्र, रायपुर

क्रमांक / 5560 / त.शा. रायपुर, दिनांक 12.11.2008

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
रायपुर / धमतरी / महासमुन्द / दुर्ग / राजनांदगांव / कवर्धा /
कांकेर / जगदलपुर / दंतेवाडा / बीजापुर / नारायणपुर /
परियोजना खण्ड रायपुर / भिलाई / बिलासपुर

**विषय :– एक खण्ड से दूसरे खण्ड में सामगियों के प्रदाय अथवा भुगतान हेतु उच्चाधिकारी की अनुमति लेने के संबंध में।**

–00–

विशेष परिस्थितियों में एक खण्ड से दूसरे खण्ड को सामग्रियों के प्रदाय अथवा एक खण्ड का भुगतान दूसरे खण्ड द्वारा किये जाने की स्थिति कभी–कभी उत्पन्न होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि ऐसा transaction वित्तीय नियमों के अंतर्गत उच्चाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरांत ही किया जाये। चूंकि प्रत्येक खण्ड को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही आबंटन एवं साख–पत्र प्रदाय किया जाता है, अंर्तखण्डीय transaction से दोनों ही राशि प्रभावित होती है अतः ऐसा सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए एवं अन्यावश्यक होने पर उच्चाधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किये जाने पर इसे वित्तीय अनियमितता माना जाकर संबंधित कार्यपालन अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

–सही–
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

पृ0क्रमांक / / त.शा. रायपुर, दिनांक / /2008

प्रतिलिपि :–

अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रायपुर / दुर्ग / जगदलपुर / की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

**Office of The Engineer-in-Chief**
**Public Health Engineering Department**
**Chhattishgarh, Raipur**

No./63 /ES/E-in-C/PHED/09 Raipur/dated 26.03.2009

# OFFICE ORDER

At present cast iron double flange pipe conforming to IS 7181 are being used in Over head tanks and water treatment plants. These pipes are sand cast pipes and normally have blow holes and do not have uniform thickness. Double flange pipes conforming to IS 1536-2001 we centrifugally machine casted barrel pipe which has a homogenous structure and are free from blow holes and have uniform thickness.

The ISI mark double flange pipes conforming to IS 7181 duly inspected by DGS & D seen at various sites were found to have blow holes as well as the inner and outer surface was rough and also considerable variations in the thickness of pipes was seen.

In view of the above facts, it shall be better to use double flange pipes conforming to IS 1536-2001 (centrifugally Cast) in Place of D.F. pipes conforming to IS 7181.

—Sd—
**Engineer In Chief**
**Public Health Engineering Department**
**Chhattishgarh, Raipur**

Endt. No. 1728 /TS/E-in-C/PHED/09 Raipur/dated 26.03.2009

**Copy forwarded to the :-**

1. Principal Secretary, Govt. of Chhattishgarh, PHE department Mantralaya, Raipur for information please.
2. Chief Engineer PHED, Raipur/ Bilaspur/ Zone for information and necessary action.
3. Superintending Engineer, PHED, Circle, Raipur / Durg/ Jagdalpur/ Bilaspur/ Ambikapur and E&M Circle Raipur for information and necessary action.
4. Account Section/TS/TS-2/Purchase /ES/ of this office for information.

—Sd—
**Engineer In Chief**
**Public Health Engineering Department**
**Chhattishgarh, Raipur**

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय

क्रमांक/844/एफ 1–1 /09/34–2/02 रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

**विषय :–विभागीय सामग्री क्रय करने हेतु क्रय नियमों का कड़ाई से पालन करने बाबत्।**

–00–

प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांतर्गत पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय प्रकार की सामग्रीयों का क्रय करते समय कार्य विभाग मैन्यूअल, वित्तीय अधिकार पुस्तिका, छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 में निहित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसी सामग्रियों का क्रय न किया जाये जिसकी तात्कालिक आवश्यकता न हो। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

–सही–
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक/845/एफ 1–1 /09/34–2/02 रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि वे परिक्षेत्र के अधीन उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि वे अपने मण्डल के अधीन उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि वे अपने खण्ड के अधीन उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

–सही–
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 156 / स्था.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09 / रायपुर, दिनांक 19.08.2009

## — :: कार्यालयीन आदेश ::—

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "Schedule of Rates for Building works 2009 with effect form 01.06.2009" को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में भवन कार्यो हेतु दिनांक 20.08.2009 से प्रभावशील किया जाता है। दिनांक 19.08.2009 तक जारी निविदा आमंत्रण सूचनाओं पर यह शेड्यूल ऑफ रेट्स लागू नही होगा एवं दिनांक 20.08.2009 को एवं इसके पश्चात जारी होने वाली निविदा आमंत्रण सूचनाओं में इस एस.ओ.आर. को ही उल्लेखित किया जायें।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र. / 4293 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09 / रायपुर, दिनांक 19.08.2009

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र—रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर / (वि. / यॉ.) रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड / परि0 खण्ड / वि0यॉ0 खण्ड, ..... .....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. ..... शाखा कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

संलग्न :— क्र—1 एवं 3 के लिये S.O.R.की प्रति।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 5065 / त.शा. / फा.न. / 247 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09 / रायपुर, दिनांक 05.09.2009

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर।

**विषय :–वाल्वस् के अनुमोदित मेक।**

–00–

मेसर्स दुर्गा इंजीनियरिंग कम्पनी सिकन्दराबाद / हावड़ा विभिन्न प्रकार के वाल्वस् बनाने की अग्रणी निर्माता कम्पनी है जिसे AQA ISO -9001-2000 एवं ISI से प्रमाण पत्र प्राप्त है। यह कम्पनी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ( A Govt. of India Enterprise) में भी पंजीकृत हैं। इन वाल्वस् का उपयोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में किया जा रहा हैं। अतः प्रदेश की जलप्रदाय योजनाओं की निविदाओं में "दुर्गा" मेक वाल्वस् को भी सम्मिलित किया जायें।

राज्य की विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं में विभिन्न प्रकार के वाल्वस् हेतु निम्न मेक अनुमोदित की जाती है:–

1. आई.व्ही.सी. (IVC)
2. किर्लोस्कर (KIRLOSKAR)
3. आई.व्ही.आई. (IVI)
4. वेग (VAG)
5. दुर्गा (DURGAA)

निविदा आमंत्रण सूचनाओं मे इन मेक के उल्लेख के साथ–साथ ISI Mark एवं DGS&D/SGS/RIET द्वारा निरीक्षण की शर्त आवश्यक रूप से रखी जायें।

संलग्न :– शून्य।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / / त.शा. / फा.न. / 247 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09 / रायपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर / (वि. / यॉ.) रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड (सिविल / परियोजना) ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– शून्य।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

## — :: परिपत्र ::—

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग मैन्यूअल के परिशिष्ट 2.13 के खण्ड 11 (ख) के तहत ठेकेदारों द्वारा अक्षय प्रकृति की सामग्री स्थल पर जाये जाने पर सामग्री की सुरक्षा पर अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। कार्यपालन अभियंता द्वारा स्टील के मामले में सामग्री के मूल्य का किया गया आंकलन का अधिकतम 90 प्रतिशत तक एवं अन्य मामलों में मूल्य का अधिकतम 75 प्रतिशत तक सामग्री की सुरक्षा पर अग्रिम दिये जाने का प्रावधान हैं। इस प्रकार के अग्रिम दिये जाने के मामले मे विभिन्न कार्यपालन अभियंताओं द्वारा सामग्री का मूल्यांकन करने में भिन्न–भिन्न मापदण्ड अपनाये जाते हैं। जिससे ठेकेदारों को अनाधिकृत लाभ मिलने की संभावना बनती हैं।

अतः स्थल पर लाई गई अक्षय प्रकृति की सामग्री का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायें :–

1. यदि सामग्री की दर (CSIDC/ DGS&D) रेट कान्ट्रेक्ट में उल्लेखित है तो सामग्री के मूल्य का मूल्यांकन हेतु दर अनुबंधो में दी हुई दर को आधार माना जाये।
2. क्रमांक 1 के अनुसार यदि दर अनुबंध नहीं हो तो ठेकेदारों द्वारा क्रय की गई सामग्री का सामग्री निर्माता से क्रय के INVOCE के आधार पर मूल्यांकन किया जायें।
3. डी.आई./सी.आई. पाईप्स को स्टील नहीं माना जाना चाहिये एवं उनके मूल्य का 75 प्रतिशत् तक ही भुगतान किया जावें।
4. सामग्री की सुरक्षा पर स्वीकृत अग्रिम की राशि अनुबंध के अंतर्गत फिनिस्ड आयटम की देय दर से अनिवार्यतः कम होना चाहियें।

—सही—
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र./5168 /तक.शाखा–ऑडिट/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./ रायपुर, दिनांक 11.09.2009

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. महालेखाकार (ऑडिट) छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर/बिलासपुर (छ.ग.)
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग,बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर/(वि./यॉ.) मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / 240 / व.नि.स.. / प्र.अ. / तक.शा. /  रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

## —:: परिपत्र ::—

**विषय :—ग्रामीण / शहरीय जल प्रदाय योजनाओं एवं अन्य योजनाओं को समय—सीमा में पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।**

छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण / शहरीय जल प्रदाय योजनाएं एवं अन्य योजनाएं को निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण करने के लिए निम्न दिशा—निर्देशों का पालन किया जायें :—

### 1.0 निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति

1.01— योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अधिकतम 2 माह के अंदर उन कार्यो की निविदाएं आमंत्रित हो जाना चाहिए, जिन्हें पूर्ण करने में सर्वाधिक समय लगना आंकलित है। इंटेकवेल एंव जल शुद्धीकरण संयंत्र की निविदाएं भी उपरोक्त समय सीमा में आमंत्रित हो जाना चाहिए।

1.02— निविदा आमंत्रण की तिथि एवं निविदाओं के वित्तीय ऑफर खोलने की तिथि में न्यूनतम 25 दिन से अधिकतम 45 दिन की समय—सीमा रखी जाये। द्वितीय आमंत्रण में इसे न्यूनतम 20 दिन एवं अधिकतम 40 दिन रखा जायें।

1.03— निविदाएं प्राप्त होने पर जिन कार्यालयों द्वारा निविदा पर निर्णय हेतु अनुशंसा की जाना है, वह अधिकतम 15 दिवस के अंदर कर दी जाना चाहिए। इस अवधि से अधिक समय लगने पर निविदा पर अनुशंसा के साथ—साथ विलंब के कारणों को भी पत्र में दर्शाया जाना आवश्यक होगा। निविदा के साथ चेक लिस्ट (प्रति संलग्न) एवं वित्तीय स्थिति का पत्रक (प्रति संलग्न) अनिवार्यतः संलग्न कर प्रेषित किया जाना चाहिए।

1.04— जिस स्तर पर निविदा पर निर्णय लिया जाना है, वह एक माह की समय—सीमा में ले लिया जाना चाहिए। निर्णय में विलंब की स्थिति में निविदा समिति की बैठक में विलंब का कारण रिकार्ड किया जायें।

### 2.0 अनुबंध एवं कार्यादेश

2.01— निविदा स्वीकृति के 20 दिवस के अंदर ठेकेदार एवं विभाग के बीच अनुबंध हस्ताक्षरित हो जाय एवं कार्यादेश जारी हो जाना चाहिए। विलंब होने पर कार्यालय अभियंता अनिवार्यतः मुख्य अभियंता को कारण सहित जानकारी देंगे।

## 3.0 डिजाइन एवं ड्राइंग का प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन

3.01– एकमुश्त निविदाएं, जिनमें ठेकेदार द्वारा डिजाइन एवं ड्राइंग प्रस्तुत की जाती हैं, वह एक माह के अंदर अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाना चाहिए। विलंब होने पर अनुबंध की शर्त के अनुसार विलंब के लिए दण्ड की राशि वसूल कर ठेकेदारों के जमा खाते में रखी जाय एवं समानुपातिक प्रगति प्राप्त होने के उपरांत ही इसे विमुक्त किया जाये।

3.02– विभाग का यह दायित्व है कि वह एक माह की समय–सीमा में डिजाइन एवं ड्राइंग का अनुमोदन कर ठेकेदार को सूचित करें। डिजाइन एवं ड्राइंग में छोट–मोटे संशोधन होने के स्थिति में संशोधन सहित अनुमोदन प्रदान किया जाय। डिजाइन एवं ड्राइंग में महत्वपूर्ण संशोधन होने की स्थिति में ही ठेकेदार को पुनः डिजाइन/ड्राइंग प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाये। ऐसी स्थिति में भी अधिकतम 1 1/2 माह की समयावधि में डिजाइन एंव ड्राइंग का अनुमोदन जारी हो जाना चाहिए।

3.03– कार्यादेश/डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुमोदन के उपरांत प्रत्येक माह अधीक्षण अभियंता द्वारा एवं प्रत्येक तिमाही में परिक्षेत्र स्तर पर सभी योजनाओं की समीक्षा की जाए।

3.04– अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की समयावधि समाप्त होने के उपरांत कोई भी कार्य अथवा भुगतान किया जाना पूर्णतः अनियमित होता है। अतः ठेकेदारों से समयावधि का आवेदन प्राप्त कर विभाग द्वारा समयावधि अथवा कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत ही कार्य कराया जाये एवं भुगतान किया जायें।

3.05– अधीक्षण अभियंता प्रत्येक माह रूपए एक करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अवयववार समीक्षा करें एवं जिन कार्यो में विलंब हो रहा, उसे दूर करने हेतु कार्यपालन अभियंता से चर्चा करें तथा अर्ध शासकीय पत्र के माध्यम से मुख्य अभियंता को सूचित करें, जिसकी प्रति प्रमुख अभियंता कार्यालय को भी दी जायें।

**(के.के. चौबे)**
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र./6427/व.नि.स/प्र.अ./तक,शा./
रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर/बिलासपुर।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल/परि.मंडल/(वि./यॉ.) मंडल .....छ0ग0।
4. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/परि0 खण्ड/वि0यॉ0 खण्ड, ..... .....छ0ग0।
5. लेखा शाखा/तकनीकी शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.,विभाग,रायपुर।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

**प्रमुख अभियन्ता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

क्रमांक /  / क्रय.शाखा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09  रायपुर, दिनांक .....

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
.....

**विषय** :–हैण्डपंप संधारण हेतु तकनीकी स्वीकृति देने बाबत्।

–00–

विषयांतर्गत लेख है कि वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में सरल क्रमांक–24 में मरम्मत कार्यो हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का कार्यपालन अभियंता को पूर्ण अधिकार हैं। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आबंटन सीमा तक हैण्डपंप संधारण कार्यो के लिये तत्काल तकनीकी स्वीकृति देवें।

सहपत्र :– दर अनुबंध आधार पर क्रय
की जा रही स्पेयर पार्टस की सूची
एवं संधारण हेतु आबंटन की प्रति

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्रमांक / 6483 / क्रय.शाखा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09  रायपुर, दिनांक 30.10.09

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल,..... की ओर सूचनार्थ। निर्देश दिये जाते है कि जिन हैण्डपंप स्पेयर्स पार्ट्स के दर सी.एस.आई.डी.सी. के दर अनुबंध सूची में शामिल नहीं है उन आयटमों को अपने स्तर पर निविदा के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :– दर अनुबंध आधार पर क्रय
की जा रही स्पेयर पार्टस की सूची
एवं संधारण हेतु आबंटन की प्रति

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

**छत्तीसगढ़ शासन**

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**

**मंत्रालय,**

**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001**

क्रमांक/1966/एफ 6–3/09/34–2/02 रायपुर, दिनांक 14.12.2009

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

**विषय :–सी.एस.आई.डी.सी. से सामग्री क्रय करने हेतु कार्यो विभागों के विभिन्न स्तर के अधिकारों का निर्धारण।**

**संदर्भ :–1. छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के यू.ओ. क्र. 461/वि/नि/चार/09/दिनांक 27.11.2009**

**2. आपका पत्र क्रमांक 4255/तशा/प्रअ/09/दिनांक 28.07.09**

–00–

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित यू.ओ. टीप निम्नानुसार है:–

" विषयांतर्गत लेख है कि कार्य विभाग मैन्यूअल के बिन्दु क्रमांक 2.091 (2) के अनुसार "फार्म सी" मात्र उस दशा में उपयोग किया जाना चाहिए जब सामग्री की पूर्ति करना हो। अतः स्पष्ट है कि उक्त प्रत्यायोजन का उपयोग कार्य हेतु सामग्री का क्रय भण्डार क्रय नियम से किया जाता है एवं Reserved Item का क्रय C.S.I.D.C. के माध्यम से किया जाना भण्डार क्रय नियम के अनुसार अनिवार्य हैं।

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रत्यायोजन सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से किये जाने वाले क्रय हेतु भी समान रूप से लागू है। अतः अलग से प्रत्यायोजन की आवश्यकता नही हैं।"

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

मंत्रालय,

क्रमांक/12 /एफ 9–3 /34–2/03 रायपुर, दिनांक 05.01.2010

# मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार

**प्रस्तावना** :–छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, में ग्राम, विकासखंड, जिला स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता अभियान में सक्रिय योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य स्तरीय पुरस्कार की स्थापना की गई हैं। उक्त कार्य में जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया हैं।

इस सम्मान के नियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम :– (अ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार है।

(ब) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषा :– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(अ) निर्णायक मंडल से अभिप्राय इन नियमों को नियम–4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से हैं।

(ब) अधिकारी/कर्मचारी से तात्पर्य एक अधिकारी कर्मचारी से हैं।

3. सम्मान का स्वरूप :– ग्रामीण स्वच्छता अभियान में सक्रिय योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छता पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिनिधियों/अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जायेगा। प्रशस्ति पत्र पृथक से दिया जावेगा।

1. **स्वर्ण पदक विजेता पुरस्कार** :–

राज्य के सर्वाधिक सफल दो जिलों को जो निर्मल ग्राम पुरस्कार के मापदण्डों के अनुरूप रहेंगे, जिनकी सर्वाधिक ग्राम पंचायते पुरस्कृत होंगी। इन जिलों के जिला पंचायत के अध्यक्ष, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को पुरस्कृत किया जाएगा।

2. राज्य के श्रेष्ठ दो जनपद पंचायतों के अध्यक्षों एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक अभियंता, (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही इन विकासखंडों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित दो उपयंत्रियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

(4) **निर्णायक मंडल का गठन** :– राज्य शासन ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्य पांच सदस्यीय होगी का गठन होगा।

(5) **निर्णायक मंडल की शक्तियां** :–

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन अंतिम होगा।
2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नही की जावेगी।
3. निर्णायक मण्डल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों/के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।
4. प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए जनप्रतिनिधियों/अधिकारी/कर्मचारी का चयन होगा।
5. निर्णायक मण्डल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उनके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुसंशा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
6. चयन वर्ष 2012 तक के लिए प्रस्तावित है राज्य शासन इसे आवश्यकतानुसार आगे बढ़ा सकेगा।

(6) **चयन की प्रक्रिया** :– पुरस्कार के लिये उपयुक्त जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला एवं स्वच्छता समिति तथा प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, के माध्यम से प्रविष्ठियॉ प्राप्त की जावेगी।
2. प्रविष्ठि प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को प्रस्तुत की जावगी। प्रविष्ठियां निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :–

क. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों का पूर्ण परिचय।

ख. ग्रामीण स्वच्छता अभियान के कार्यो में लक्ष्य पूरा करने जनभागीदारी को बढावा देने, सामाजिक चेतना का अच्छा वातावरण विकसित करने क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिये किये गये कार्यो की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

घ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति।

3. अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई शर्तो लागू नहीं होगी।

   ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि सबंधित जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारी का कार्य दोबार पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं हैं।

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध मे कोई विचार नहीं किया जावेंगा।
5. प्रविष्ठि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।

6. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित शीर्षको में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवाई जावेगी जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा :–

1. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं पता।
2. प्रस्तावक।
3. "सम्मान" विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्योरा।
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान।
5. प्रमाण/टिप्पणियां/आलेख।
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं हैं।

7. **चयन का मापदण्ड** :–

सम्मान के लिए ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारी के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रहेंगे।

1. सम्मान के लिए निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा ऐसे जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट सेवा की हो। भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम हेतु निर्धारित मापदण्डों का यथावत पालन किया जाएगा।

2. निर्णायक मण्डल द्वारा पूर्व वर्ष में किये गये तथा चयन वर्ष में किये गए दोनों प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन करेगा। प्रथम बार वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 के लिए देय होगा।

3. विभाग द्वारा अथवा प्रस्ताव द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए बताई गई उपलब्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं।

4. सम्मान चूकि ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होगा आवश्यक हैं।

5. ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए जो कि प्रमाण–पत्रों/पत्र कतरनों एवं प्रतिवेदन से होगा।

8. **सम्मान की घोषणा** :–

निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित अधिकारी/कर्मचारियों की औपचारिक घोषणा की जावेंगी।

9. **अलंकरण समारोह** :–

पुरस्कारों का अंलकरण समारोह राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित अधिकारी/कर्मचारी को आमंत्रित किये जावेगा। विशेष परिस्थितियों में पुरस्कृत अधिकारी/कर्मचारी अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिनको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। पुरस्कार प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी को शासन के नियमानुसार समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. **व्यय की संपूर्ति :–**

सम्मान एवं अंलकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के आई.ई.सी. मद में भारित किया जावेगा।

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :–**

राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वेष्ठित होंगे।

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन :–**

प्राप्ति प्रविष्टियां एवं चयन जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारी का रिकार्ड एक अलग अलग जिल्द में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, द्वारा संशोधित किया जावेगा। चयनित अधिकारी/कर्मचारी के ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी, जिसमें सम्मान के उद्देश्यों, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्र. / 13 / एफ 9–3 / 34–2 / 03 /

रायपुर, दिनांक 05.01.2010

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री महोदय जी. छ0ग0 शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजातीय विकास विभाग छ0ग0 शासन।
3. निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजातीय विकास विभाग, छ0ग0 शासन।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव छ0ग0 शासन..... विभाग।
6. सचिव छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
7. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ0ग0 रायपुर।
8. आयुक्त, रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर संभाग छ0ग0।
9. मुख्य अभियंता, एवं नोडल अधिकारी, टी.एस.सी. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर।
10. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर / बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
11. कलेक्टर जिला ..... (छ0ग0)
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .....
13. कार्यपालन अंभियता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

# परिपत्र

**विषय :—अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore Wells) में बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं से बचने सुरक्षात्मक उपाय।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका क्रमांक 36/2009 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के D.No. 194/2009/SC/PILC दिनांक 17 फरवरी 2010 द्वारा अनुपयोगी हो चुके (Abandoned Bore Wells) में बच्चों के गिरने जैसी घातक दुर्घटनाओं से बचने के सुरक्षा उपाय के संबंधित मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशो के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, में पालनार्थ निम्नानुसार जारी किये जाते है :—

1. ग्राम पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र जहां नलकूप का निर्माण किया जाना हो निर्माण के कम से कम 15 दिन पूर्व तक संरपच/अध्यक्ष को लिखित में सूचित किया जावें।
2. ऐजेंसी जिसको निर्माण का कार्यादेश दिया जाता है को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जिला प्रशासन के पास अपना पंजीयन कराया जाना आवश्यक रहेगा। तत्पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जावे। निजी एजेंसी एवं शासकीय विभाग दोनों के लिये यह अनिवार्य रहेगा।
3. नलकूप खनन स्थल पर खनन कार्य के समय में नलकूप खनन करने वाले ठेकेदार का नाम, पुरा पता एवं विभाग के नाम की तख्ती स्पष्ट रूप से लगाई जावें।
4. ग्रेवेल पेक, नलकूप खनन जिसकी खनन कार्य अवधि सामान्यतः अधिक समय के लिये होती है, के लिये स्थल पर वारबेड वायर फेंसिंग की जावेगी।
5. नकलूप केंसिंग के चारों तरफ से 0.05x0.5x0.6 मीटर का सी.सी. (1%2%4% मिक्स) प्लेट फार्म ब्लाक बनाया जावेगा जो की 30 से.मी. जमीन सतह से उपर एवं 30 से0मी0 जमीन सतह से नीचे रहेगा।
6. नलकूप केंसिग पाईप को खनन कार्य पश्चात मजबूत स्टील ढक्कन द्वारा नट बोल्ट से कस दिया जाता हैं। मैदानी अमला यह सुनिश्चित करेगा कि पंप रिपेयर के दौरान भी नलकूप बिना कव्हर के न रहें।
7. नलकूप निर्माण के पश्चात स्थल को पूर्व स्थिति में समतल किया जाना आवश्यक रहेगा जैसा कि वह पूर्व स्थिति में था। इसमें निर्माण के दौरान बनाये गये गड्ढे/नाली आदि भी शामिल रहेगें।

8. अनुपयोगी (Abandoned ) हो चुके बोर को मिट्टी / रेत / बोल्डर / ड्रिल कंटिग आदि से जमीन सतह तक पूरा भरा जावेगा।

9. प्रत्येक खण्ड कार्यालय ग्राम / विकासखण्डवार खनित नलकूप की संख्या / Abandoned Bore Wells की संख्या जो खुले पड़े है और जिनको भर दिया गया है की जानकारी संधारित करेगें और जिला प्रशासन को इस जानकारी से अवगत करावेंगे।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये निर्देशानुसर Abandoned Bore Wells का निपटान की पुष्टि करने के लिए विभागीय अधिकारी निरीक्षण करेगें एवं संबंधी प्रतिवेदन / जानकारी व प्रमाण पत्र प्रतिमाह प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजेंगे तथा जिला प्रशासन को भी अवगत करावेंगे।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र. / 3100 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 / F No, 391 रायपुर, दिनांक 30.04.2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक–2321 / न्याया.शाखा / दिनांक 27.03.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर / बिलासपुर(वि. / यॉ.) रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, (वि. / यॉ.) ..... .....की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड / परि0 खण्ड / वि0यॉ0 खण्ड, ..... .....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। वे अधिनस्थ संबंधितों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत करावेंगे।
6. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (सिविल) / परि0 / वि0यॉ0 उपखण्ड, ..... .....की ओर सूचनार्थ एवं कड़ाई से पालन हेतु अग्रेषित। कृपया आपके अधिनस्थ कार्यरत उपअभियंताओं को तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. इस कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं शाखा प्रमुख की ओर सूचनार्थ।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# रायपुर, परिक्षेत्र, रायपुर

क्रमांक / 1933 / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2010 रायपुर, दिनांक 31.05.10

प्रति,

1. **अधीक्षण अभियंता**
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मण्डल रायपुर / दुर्ग / जगदलपुर
2. **कार्यपालन अभियंता**
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
   रायपुर / धमतरी / महासमुन्द / दुर्ग / राजनांदगांव / कवर्धा /
   कांकेर / जगदलपुर / दंतेवाडा / बीजापुर / नारायणपुर /
   परियोजना खण्ड रायपुर / भिलाई / परियोजना खण्ड क्र.–2
   रायपुर।

**विषय** :–जल प्रदाय योजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृती बाबत् संक्षेपिका का प्रारूप।

**संदर्भ** :–मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ–8–157–34 –2–91–93 / दिनांक 02 फरवरी 1993

–00–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जल प्रदाय योजना को पुनरीक्षित कर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृती हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे, तब संलग्न प्रारूप संक्षेपिका अनुसार जानकारी तैयार कर योजना में निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

–सही–
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

पृ0क्रमांक / 1934 / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2010 रायपुर, दिनांक 31.05.10

प्रतिलिपि :–

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

–सही–
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

## मध्यप्रदेश शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

क्रमांक/एफ 8–157–34–2–91–93, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 1993

प्रति,

1. **प्रमुख अभियंता**
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मध्यप्रदेश भोपाल।
2. **समस्त मुख्य अभियंता**
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

**विषय** :–जल प्रदाय योजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृत बाबत् संक्षेपिका का प्रारूप।

–00–

वित्त विभाग को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् अनेक योजनाए वर्तमान में भेजी गई है जिनके परीक्षण उपरान्त उनका अनुरोध है कि एक स्वयं स्पष्ट संक्षेपिका उपलब्ध कराई जाये जब भी कोई प्रकरण इस प्रकार का उनको प्रेषित किया जाता है तो संक्षेपिका अनुसार जिसमें कि योजना को वस्तुस्थिति के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी दी जायें :–

1. योजना का नाम
2. मूल स्वीकृत लागत
3. मूल स्वीकृत का वर्ष/क्रमांक
4. प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत
5. मूल तथा पुनरीक्षित लागत का अंतर
6. अ क्र. 5 के अंतर अर्थात् आधिक्य का तुलनात्मक विवरण :

| अ.क्र. | प्राक्कलन की मद | मूल स्वीकृति लागत | प्रस्तावित पुनरीक्षित | अंतर (3–4–5) | आधिक्य/कमी के कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

7. पुनरीक्षित लागत में ऐसी कितनी मद है जिनकी परिकल्पना मूल प्राक्कलन में नहीं थी तथा अब सम्मिलित किया गया हैं।
8. अ.क्र. 7 में बताये गये मदों की लागत तथा इनके सम्मिलित करने के कारण।
9. योजना पर प्रस्ताव करते समय अद्यतन कितना व्यय हो चुका है तथा कितना व्यय करना शेष है,
   (1) तक किया व्यय
   (2) शेष काम जो करना है।
   (3) प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत।
10. योजना पर किये व्यय के परिपेक्ष्य में भौतिक प्रगति।
    (1) कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका हैं
    (2) कितने प्रतिशत कार्य शेष है

11. योजना कब तक पूर्ण होना संभावित है

12. वित्तीय वर्ष का प्रावधान

13. आगामी वर्षो के लिये वित्तीय व्यवस्था की उपलब्धता का विवरण

14. यदि पुनरीक्षित स्वीकृति की कार्यवाही विलम्ब से की जा रही है तो इस विलम्ब के समाधान कारक कारण क्या है

15. अन्य जानकारी जो विभाग, प्रस्ताव के समर्थन मे देना चाहें।

आगे जो भी इस प्रकार के प्रकरण विभाग को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजे जायें, उसमें उक्त बिन्दुओं पर जानकारी संक्षेपिका अनुसार भेजें, ताकि प्रकरणों के निराकरण में शीघ्रता एवं सुगमता हो विभाग में आपकी ओर से जो भी अभी तक प्रकरण भेजे गये है तथा जिनकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई तथा लम्बित है उन सभी योजनाओं के लिये उक्त संक्षेपिका के आधार पर जानकारी तुरन्त प्रेषित करें।

–सही–
**(वसीम अख्तर)**
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# नीर भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर– 492001

क्रमांक /  /तशा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./10  रायपुर, दिनांक  /06/2010

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र बिलासपुर/रायपुर।

**विषय** :–जलप्रदाय योजनाओं मे पंपिंग मेन तथा जलवितरण पाईप लाईन के लिये बनाये जा रहे प्राक्कलन के संबंध में।

–00–

विभाग में जलप्रदाय योजनाओं में पंपिंगमेन एवं जलवितरण पाईप लाईन के प्राक्कलन, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, द्वारा वाटर सप्लाई एवं सीवरेज पाईप लाईन के लिए दिनांक 01 सितम्बर 2002 से जारी एस.ओ.आर. जो छत्तीसगढ़ से भी अक्टूबर 2004 से लागू किया गया है, के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं। प्रचलित लागत के अनुमान के लिए प्राक्कलन के अंत में निविदा प्रतिशत भी जोड़ा जाता हैं।

निर्देशित किया जाता है कि जिन सामग्रियों का दर अनुबंध सी.एस.आई.डी.सी. अथवा डी.जी.एस. एण्ड डी. में उपलब्ध है उन सामग्रियों का दर अनुबंध के शर्तो तथा एस.ओ.आर. के स्पेसीफिकेशन के आधार पर विस्तृत विश्लेषण किया जावें। विस्तृत विश्लेषण के आधार पर निम्नानुसर प्राक्कलन के अंत में जोड़े जाने वाले प्रतिशत का निर्धारण किया जावे। योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व दर विश्लेषण का विशेष ध्यान दिया जाऐ। तत्संबंध में नियमानुसार परीक्षण उपरांत ही सावधानीपूर्वक कार्यवाही की जाएं।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र./3809 /तशा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./10  रायपुर, दिनांक 08/06/2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। जलप्रदाय योजनाओं के प्राकक्लन तैयार करते समय उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जावें।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/परि0 खण्ड/वि0यॉ0 खण्ड, ..... ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित। जलप्रदाय योजनाओं के प्राकक्लन तैयार करते समय उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जावें।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय,
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

## / / आदेश / /

रायपुर, दिनांक 03.09.2010

क्रमांक 631 / एफ–13–1 / 2010 / 34–2 / 02 छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एतद् द्वारा विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अप्रैल 2010 में वित्तीय अधिकार पुस्तिका कार्य विभाग नियमावली एवं भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विभाग के विभिन्न स्तर पर निविदाओं के त्वरित निराकरण के लिए "**निविदा एवं क्रय समिति**" का गठन किया गया था, उसे निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **प्रमुख अभियंता स्तर पर :–** | |
| 1 | प्रमुख अभियंता | अध्यक्ष |
| 2. | दो मुख्य अभियंता (शासन द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 3. | अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि., रायपुर | सदस्य सचिव |
| 4. | वित्त / लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां.वि., रायपुर | सदस्य |
| 1.1. | **निविदा निराकरण की समय–सीमा** | **निविदा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन** |
| 2. | **परिक्षेत्र स्तर पर :–** | |
| 1 | मुख्य अभियंता (संबंधित) | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य अभियंता (संबंधित के अलावा प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 3. | अधीक्षण अभियंता, (संबंधित) | सदस्य |
| 4. | अधीक्षण अभियंता, अथवा कार्यपालन अभियंता कार्या. मुख्य अभियंता | सदस्य सचिव |
| 5. | वित्त / लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां.वि., रायपुर | सदस्य |
| 2.1. | **निविदा निराकरण की समय–सीमा** | **निविदा प्राप्त होने की तिथि से 21 दिन** |
| 3. | **मण्डल स्तर पर :–** | |
| 1 | अधीक्षण अभियंता (संबंधित) | अध्यक्ष |
| 2. | अन्य मंडल के अधीक्षण अभियंता (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 3. | संबंधित खण्ड के कार्यपालन अभियंता, | सदस्य |
| 4. | मण्डल कार्यालय में संलग्न अधिकारी (कार्यपालन / सहायक अभियंता) | सदस्य |
| 5. | मंडल अधीक्षक | सदस्य सचिव |
| 3.1. | **निविदा निराकरण की समय–सीमा** | **निविदा प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन** |
| 4. | **खंड स्तर पर :–** | |
| 1 | कार्यपालन अभियंता (संबंधित खंड) | अध्यक्ष |
| 2. | अन्य खंड के कार्यपालन अभियंता (अधीक्षण अभियंता द्वारा नामांकित) | सदस्य |
| 3. | संभागीय लेखाअधिकारी, | सदस्य सचिव, |
| 4.1. | **निविदा निराकरण की समय–सीमा** | **निविदा प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन** |

5. विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे–हैण्डपंप योजनाओं/नल जल प्रदाय/स्पॉट सोर्स योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन/संधारण हेतु आवश्यक सामग्रियॉं, जो भण्डार क्रय नियम के अनुसार आरक्षित श्रेणी मे है एवं जिनके दर सी.एस.आई.डी.सी. मे उपलब्ध है का क्रय, क्रय पर बेहतर नियंत्रण के लिए प्रमुख अभियंता स्तर पर उनके लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के अंतर्गत किया जावेगा। ऐसी समस्त सामग्री जिनके सी.एस.आई.डी.सी. दर उपलब्ध नहीं हैं, उनका क्रय भण्डार क्रय नियम में दिये प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–11 में निर्धारित अधिकार अनुसार विभिन्न स्तर पर किया जावेगा।

अत्यावश्यक परिस्थितियों में दर अनुबंध पर उपलब्ध सामग्रियों पर क्रय अन्य स्तरों पर करने हेतु प्रमुख अभियंता की पूर्वानुमति से वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–।। में प्रत्यायोजित अधिकार सीमा तक किया जा सकेगा। ऐसे समस्त क्रयों की पूर्ण जानकारी अनिवार्यतः प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता को दी जावेगी।

6. समिति की बैठक एवं निविदा प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण नियमित रूप से इस तरह हो कि निविदाओं का निराकरण निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो सकें।

7. शासन स्तर पर निराकृत की जाने वाली निविदाएं प्रमुख अभियंता द्वारा शासन को प्रेषित की जायेगी। ये निविदा प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के अंदर शासन को प्रेषित किये जावेंगे।

8. उपरोक्त समितियों का पुनर्गठन आवश्यक होने पर शासन की अनुमति से किया जा सकेगा।

9. किसी सदस्य के अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नामांकित किया जा सकेगा।

10. उपरोक्त आदेशों के साथ–साथ क्रय समितियों के अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन द्वारा समय समय पर जारी समस्त नियम/निर्देशों का क्रय की प्रक्रिया हेतु पालन करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एच.एस. धिंगरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्र./1444/एफ 13–1/2010/34–2/02/ रायपुर, दिनांक 09.09.2010

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ0ग0 रायपुर।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर/बिलासपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर (सि. एॉ.) मंडल, रायपुर।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/परि0 खण्ड/वि0यॉ0 खण्ड, ..... ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

–सही–
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# नीर भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर– 492001

क्रमांक / 6012 / ले.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 रायपुर, दिनांक 30 / 09 / 2010

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   परिक्षेत्र बिलासपुर / रायपुर।
2. अधीक्षण अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मंडल.....
3. कार्यपालन अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   खंड .....

**विषय** :–भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकर जमा किये जाने के संबंध में।

**संदर्भ** :–छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक 1560 / एफ–21 / 10 / 34–2 / 02 / रायपुर / दिनांक 22.09.2010

–00–

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं। शासन से प्राप्त अनुमोदन अनुसार निविदा दस्तावेजों में विशेष शर्ते जोड़ना सुनिश्चित करें। निविदा दस्तावेजों में विशेष शर्ते जोड़ने के पश्चात उपकर की कटौती अनिवार्य रूप से नियमानुसार की जावें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र. / / ले.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 10 रायपुर, दिनांक.....

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन
## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
## मंत्रालय,
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

क्रमांक / 1560 / एफ 21 / 10 / 34–2 / 02 रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2010

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर।

**विषय :–भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1896 के अंतर्गत उपकर जमा किये जाने के संबंध में।**

**संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 5564 / लेशा / दिनांक 30.08.2010**

–00–

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निविदा दस्तावेजों में जोड़ने हेतु निम्नांकित विशेष शर्त अनुमोदित किया जाता हैं :–

**Special Additional Conditions :-**

(A) Cess @ 1% (One percent only) shall be deducted at source, from every bill of contractor by Executive Engineer under " Building and other Construction for workers welfare, cess Act-1996"

(B) It is mandatory for the contractors (s) to get himself/themselves registered with "Chattishgarh Building and other construction welfare Board" for work amounting to Rs. 10.00 Lakhs (Rs. Ten Lakhs) and above and enclosed a ture copy of such registration certificate alongwith the tender, otherwise his/their tender shall not be considered for qualification.

सहपत्रः–शून्य।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्र. / / एफ 21 / 10 / 34–2 / 02 रायपुर, दिनांक / 09 / 2010

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र–रायपुर / बिलासपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर, दुर्ग बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर (वि. / यॉ.) मंडल, रायपुर।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड / परि0 खण्ड / वि0यॉ0 खण्ड, ..... ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

–सही–

सहपत्रः–शून्य।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# रायपुर, परिक्षेत्र, रायपुर

क्रमांक / 420 / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2010 रायपुर, दिनांक 22.01.11

प्रति,

1. **अधीक्षण अभियंता**
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मण्डल रायपुर / दुर्ग / जगदलपुर
2. **कार्यपालन अभियंता**
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
   रायपुर / धमतरी / महासमुन्द / दुर्ग / राजनांदगांव / कवर्धा /
   कांकेर / जगदलपुर / दंतेवाडा / बीजापुर / नारायणपुर /
   परियोजना खण्ड रायपुर / परियोजना खण्ड क्र.–2 भिलाई /
   रायपुर।

**विषयः– निर्माण कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में वित्त निर्देश 45 / 2010**

**संदर्भः– प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक 160 / त.शा. / दिनांक 11.01.2011; पत्र आपके कार्यालय को पृष्ठांकित हैं)**

–00–

विषयान्तर्गत प्रमुख अभियंता कार्यालय के संदर्भित पत्र मय सहपत्रों का अवलोकन करें। जिसमें वित्त निर्देश 45 / 2010 में वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यो के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अध्याय–2, धारा –2 का संदर्भ देते हुये निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी एवं पर्याप्त बजट प्रावधान या उपलब्धता के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है, का पालन करते हुये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी सावधानी पूर्वक भेजने हेतु निर्देशित किया गया हैं। अतः उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

–सही–
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

पृ0क्रमांक / / त.शा. / मु.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2010 रायपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।

–सही–
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक/160/त.शा./फा.न. 535/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./10 रायपुर, दिनांक 11 /01/2011

प्रति,

**मुख्य अभियंता,**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र बिलासपुर/रायपुर।

**विषयः– निर्माण कार्यो के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में वित्त निर्देश 45/2010**

**संदर्भः– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. 221/वित्त/ब–2/2010, दिनांक 29.12.2010**

–00–

विषयांतर्गत वित्त निर्देश 45/2010 की छायाप्रति आपके अवलोकन एवं पालनार्थ संलग्न हैं। वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यो के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अध्याय 2, धारा 2 का संदर्भ देते हुए निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु **प्रशासकीय अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी एवं पर्याप्त बजट प्रावधान या उपलब्धता** के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

कृपया आप अपने परिक्षेत्र से संबंधित खंडों को इन निर्देशों से अवगत करावें एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी सावधानी पूर्वक आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

–सही–
**मुख्य अभियंता (मॉनी)**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

पृ0क्र./ /त.शा./फा.न. 535/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./10 रायपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर, अंबिकापुर एंव (वि./यॉ.) मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

–सही–
**मुख्य अभियंता (मॉनी)**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

**छत्तीसगढ़ शासन**

**वित्त विभाग**

**दाऊ कल्याण सिंह भवन,**

**मंत्रालय,**

क्रमांक/221 /वित्त/ब–2/2010 रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़।

**विषय :–निर्माण कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

–00–

छत्तीसगढ़ कार्य विभाग नियमावली के अध्याय 2, धारा 2 में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु निम्नानुसार तीन बिन्दुओं के पालन करने के निर्देश हैः–

(I) प्रशासकीय अनुमोदन,

(II) तकनीकी मंजूरी,

(III) पर्याप्त बजट प्रावधान या उपलब्धता।

इनके साथ ही कार्य विभाग नियमावली के कंडिका 2.005 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी योजना/कार्य का पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है, यदि :–

(A) प्रशासकीय अनुमोदन, प्रक्रम–1, प्राक्कलन (Stage-I Estimate )के आधार पर दिया गया है तो अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 20% अधिक होता है, अथवा होना प्रतीत होता हैं।

(B) प्रशासकीय अनुमोदन प्रक्रम–II प्राक्कलन (Stage-I Estimate )के आधार पर दिया गया है तो अनुमोदित राशि से यदि प्राक्कलन में वृद्धि 10% अधिक व्यय होता है, अथवा होना प्रतीत होता हैं।

(C) मूल प्रस्तावों में सामग्री का बदलाव किया गया है, भले ही उनकी लागत अन्य मदों की बचत से की जा सकती हो।

विभाग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यो के पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के प्रस्तावों में प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यो नियमावली में पुनरीक्षित अनुमोदन के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं के वित्तीय पोषण के संबंध में समस्या उत्पन्न होती हैं तथा राशि की उपलब्धता के अभाव में कार्य पूर्ण होने में विलंब होता हैं।

अतः सभी कार्य विभागों से अपेक्षा की जाती है कि प्रशासकीय अनुमोदन अथवा पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्यो नियमावली के प्रावधानों को पालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ निम्नलिखित दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

(I) प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव यथा संभव आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधान, परीक्षण अध्ययन आदि पूर्ण रूप से संपन्न कर एवं आवश्यक डिजाईन, ड्राईग, विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर स्टेज–II लागत आधारित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर आधारित होना चाहिए। राजस्व भूमि, निजी भूमि, वन भूमि अथवा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, मुआवजा आदि यदि आवश्यक हो, तो यथासंभव वास्तविकता के करीब तक गणना कर आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिये, जिससे प्रस्तावित योजना का वास्तविक लाभ–लागत का अनुमान हो सके तथा आवष्यक धनराशि के विनियोग हेतु सही प्लानिंग सुनिश्चित हो सकें।

(II) अपरिहार्य परिस्थिति में जब स्टेज–II आधारित लागत निकाला जाना संभव न हो अथवा किसी कारण से आंकलन न किया जा सका हो तो स्टेज–I आधारित लागत अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जावे तथा प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात सर्वेक्षण, अनुसंधान, परीक्षण, अध्ययन आदि समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर विस्तृत डिजाईन ड्राईग, प्राक्कलन आदि तैयार कर सुनिश्चित कर ली जानी चाहिये कि प्रस्तावित योजना की लागत प्रशासकीय अनुमोदन की सीमा के अंदर है अथवा नहीं। निर्धारित सीमा के अंदर योजना की लागत न होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

(III) यदि किसी योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी करते समय यह अनुमान हो जाता है कि योजना की लागत ली गयी प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक है, तो प्रथमतः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की सहमति प्राप्त की जावे, तदोपरान्त ही निविदा की कार्यवाही प्रारंभ की जावे। इसी प्रकार यदि निविदा की दरें प्रचलित विभागीय दर सूची से कम दरों पर आ रही है अथवा स्वीकृत की गयी है तो उस स्थिति में भी कार्य प्रांरभ करने के पूर्व अनिवार्यतः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जावें।

(IV) कतिपय प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात लागत वृद्धि होना ज्ञात होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन की सीमा के अंदर होना मानकर कार्य के आंशिक भाग की तकनीकी मंजूरी प्रदान कर एवं निविदा कर कार्य प्रांरभ कर दिया जाता है, ऐसा किया जाना उचित नहीं हैं। निर्माण कार्य की सुविधा की दृष्टि से कार्य को विभाजित कर आंशिक कार्य की तकनीकी मंजूरी तथा निविदा की जा सकती है, किन्तु कार्य प्रारंभ के पूर्व पूर्ण कार्य की लागत अनुसार सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन लिया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य हैं।

(V) पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के प्रस्ताव सभी दृष्टि से पूर्ण एवं लगभग वास्तविक लगात के करीब होना चाहिये जिसमें यथा संभव लंपसम प्रावधान अथवा किसी आंशिक भाग का स्टेज–I अनुमान नहीं होना चाहिए।

(VI) पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन के प्राक्कलन, पुनरीक्षण के समय प्रचलित विभागीय दर सूची के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये। किसी प्रकरण में आंशिक कार्य संपन्न होने की स्थिति में संपन्न हो चुके कार्य वास्तविक आधार पर तथा शेष कार्यो के प्राक्कलन पृथक–पृथक बनाया जाना चाहिये।

(VII) पुनरीक्षित अनुमोदन के प्रस्ताव में विभिन्न मदों में मात्रा एवं दर में अंतर का स्पष्ट करते हुये तुलनात्मक विवरण संलग्न प्रपत्रानुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें प्रस्तावित लागत वृद्धि के कारणों को प्रपत्र में दिये गये उपशीर्षवार पृथक–पृथक स्पष्ट किया जाना चाहिए।

कृपया उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

**(अजय सिंह)**
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

पृ0क्र./222/वित्त/ब–2/2010

प्रतिलिपि :–

पृ0क्र./3100/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./10/F No, 391 रायपुर, दिनांक 30.04.2010

प्रतिलिपि :–

1 राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाअधिवक्ता/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ रायपुर।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
8. मुख्य सचिव, के स्टॉफ ऑफीसर, मंत्रालय, रायपुर।
9. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर।
10. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर।
13. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
14. मुख्य अधिकारी, मंत्रालय रायपुर।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़।
17. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़।
18. संचालक शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़।
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु।

–सही–
**(ऋषभ पाराशर)**
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक /  / टी.एस.सी. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 11  रायपुर, दिनांक  /  /

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
.....

**विषय :–संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरण करने बाबत्।**

**संदर्भ :–सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, का आदेश क्र. 324 / 372 / 2011 / 1–6 / रायपुर / दिनांक 18.03.2011**

–00–

शासन के संदर्भित आदेश (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास को नोडल विभाग घोषित किया गया है। अतः आप कृपया तत्काल कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति के निर्देश प्राप्त कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की विशेष बैठक आहूत करें। एवं उक्त बैठक में कार्यक्रम के व्यवस्थित हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश तय कर हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

**–सही–**
**प्रमुख अभियंता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

पृ0क्र. / 2265 / टी.एस.सी.. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 11  रायपुर, दिनांक 29 / 03 / 2011

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है कि वे अपने स्तर से भी इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर / बिलासपुर की ओर कार्यक्रम के व्यवस्थित हस्तातरण हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / जगदलपुर, अंबिकापुर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार(स.क्र. एवं 3 हेतु)।

**–सही–**
**प्रमुख अभियंता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

# छत्तीसगढ़ शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग,
## मंत्रालय,
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

## / /आदेश/ /

क्रमांक 324/372/2011/ रायपुर, दिनांक /03/2010

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की केन्द्र प्रदर्शित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 15.09.2010 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 13 में लिए गए निर्णयानुसार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों का शीघ्र निर्माण और उपयोग की सुनिश्चित करने के लिए, राज्य शासन एतद् द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, के स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित करता हैं।

इस संबंध में आने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय औपचारिकताओं का समाधान दोनों विभाग आपस में वित्त विभाग से सहयोग से करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(के.आर.मिश्रा)**
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ0क्र./325/372/2011/1–6/ रायपुर, दिनांक 18.03.2011

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र. पंग्राविवि/13वें वित्त/595/2011/173/दिनांक 21.02.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
4. संयुक्त सचिव (स्वच्छता) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, 12वीं मंजिल, पर्यावरण भवन,सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,नई दिल्ली।
5. सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
7. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ0ग0 रायपुर।
8. मुख्य सचिव, के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

–सही–
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

# छत्तीसगढ़ शासन
## वित्त विभाग
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक/825 एल/6–6/2010/वित्त/ब–4/चार रायपुर, दिनांक 13 मई 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़।

**विषय :–नई सेवा/सेवा का नया साधन–निर्धारित वित्तीय सीमाओं में संशोधन।**
**संदर्भ :–1.वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 216/चार/ब–1/95, दिनांक 10 मार्च 1995**
**2.वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 793/चार/ब–1/96, दिनांक 15 जून 1996**
**3.वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1128/चार/ब–1/98,दिनांक 19 अगस्त 1998**

–00–

व्यय के किसी वर्ग को विशिष्ट रूप से विधानसभा की जानकारी में लायें करना खर्च नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसकी पूर्ति अकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की जाना प्रस्तावित न की गई हो। किसी व्यय को नई सेवा या सेवा के नये साधन के रूप में अर्थात् व्यय की नई मद के रूप में माने जाने के लिए इस विभाग के संदर्भित अपनो द्वारा वित्तीय सीमायें निर्धारित की गयी थी। उक्त ज्ञापनों में अंकित सीमाओं को अधिकमित करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अनुमोदन के नवीन वित्तीय सीमाएं और मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित करता हैं:–

1. **<u>स्थापना</u>**

वे स्थापना जिनमें वित्तीय व्यय 50.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,

**टिप्पणी** :– किसी विभागाध्यक्ष–स्थापना अथवा विभागाध्यक्ष न होने की स्थिति में शासन संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी विशिष्ट बजट शीर्ष से किये जाने वाले व्यय के संबंध में ऊपर उल्लेखित सीमा एक पूरे वर्ष में नवीन स्वीकृत स्थापना पर होने वाले संचयी व्यय पर लागू होगी।

2. **वेतनमानों का पुर्नरीक्षण**

यदि केवल कुछ विशेष पदों अथवा एक वर्ग में सम्मिलित सभी पदों के वेतन पुर्नरीक्षण का प्रभाव किसी एक पूरे वर्ष में 50.00 लाख से अधिक न हो तो वह नई सेवा नहीं होगी। किन्तु यदि यह 50.00 लाख से अधिक हो तो 'नई सेवा'' मानी जावेगी।

**टिप्पणी** :–वेतनमानों के पुर्नरीक्षण के उद्देश्य से नियुक्त वेतन आयोग/समिति की अनुसंशाओं के फलस्वरूप यदि वेतनमान पुर्नरीक्षित किये जाते है तो यह नई सेवा नहीं होगी, यथापि ऐसे वेतन आयोग/समिति की अनुसंशाओं को स्वीकार करने संबंधी निर्णय विधानसभा के ध्यान में लाया जायेगा।

3. **वाहन :–**

निश्प्रयोजन घोषित वाहन के बदले में क्रय किये गये वाहन (प्रतिस्थापित) को छोड़कर (प्रमोटो शक्ति या आंतरिक दहन इंजिन से चलित) वाहनों का क्रय नई सेवा माना जावेगा। निश्प्रयोजित घोषित वाहनों को नीलामी/विक्रय से प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा करने के बाद प्रतिस्थापित करना ''नई सेवा'' नही माना जावेगा।

4. **कार्यालय व्यय :–**

सामान्य कार्यालय सामग्री और व्यय जो निम्नांकित टिप्पणी में वर्णित है, पर प्रत्येक कार्यालय हेतु 2.00 लाख वार्षिक से अधिक व्यय ''नई सेवा'' माना जावेगा।

**टिप्पणी** :– कार्यालयीन व्यय में वे सभी आकस्मिक खर्चे, जो एक कार्यालय को चलाने में आवश्यक है, सम्मिलित है, जैसे फर्निचर, टाईपराइटर, डुप्लीकेटर्स, टेलिफोन, इन्टरकॉम, केलकूलेटर, बिजली के पंखें, साईकिल, स्टील रेक या अलमारी पर्दे इत्यादि, कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसर, फैक्स, टेलीप्रिंटर्स, एयर कंडीशनर, वाटर कुलर, रूम कुलर, फोटोकापियर को कार्यालयीन व्यय माना जायेगा।

उपरोक्त वस्तुओं का निश्प्रयोजन घोषित कर उनकी नीलामी और विक्रय राशि को शासन के खाते में जमा करने के बाद बदलना ''नई सेवा'' नही माना जावेगा।

5. **आयोग और समितिया :–**

कोई समिति/आयोग (वैधानिक अथवा अन्य प्रकार) की जिसके गठन/नियुक्ति के प्रथम वार्षिक व्यय 10.00 लाख से अधिक हो 'नई सेवा' होगा।

6. **मेला अथवा प्रदर्शनी इत्यादि :–**

प्रत्येक प्रकरण में निम्नानुसार सीमा से अधिक व्यय 'नई सेवा' माना जावेगा :–

| | |
|---|---|
| जिला स्तरीय मेला | 10,00,000.00 |
| संभागीय स्तरीय मेला | 25,00,000.00 |
| राज्य स्तरीय मेला | 50,00,000.00 |
| राज्य के बाहर मेला | 1,00,00,000.00 |
| प्रचार–उद्देश्य पुस्तिका | प्रत्येक प्रकरण में 1,00,000.00 |
| विज्ञापन का प्रकाशन, फिल्म–निर्माण | से अधिक व्यय |
| सिनेमा, स्लाईड तैयार करना इत्यादि | |

**7. <u>डिक्रीधन का भुगतान</u> :–**

इस श्रेणी के लिये बजट में भारित व्यय के रूप में एक मुश्त प्रावधान किया जा सकता है। जब प्रावधान समाप्त हो जाये तो अधिकांश ग्राण्ट्स में वह पुर्नविनियोजित द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता ऐसे प्रकरणों में पूरक विनियोजन अथवा आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के बाद ही अतिरिक्त व्यय किया जा सकता है इस प्रकार के व्यय को वे सभी मदे जो 5.00 लाख से अधिक की हो विशिष्ट रूप से विधानसभा की जानकारी में लायी जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये 5.00 लाख से अधिक का व्यय "नई मद" माना जावेगा।

**8. <u>सहायक अनुदान</u> :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सामाजिक क्षेत्र में दिये जाने वाले आवर्ती/अनावर्ती अनुदान | – | 5.00 लाख से अधिक |
| 2. | अन्य सभी प्रकार के आवर्ती अनुदान | – | 1.00 लाख से अधिक |
| 3. | अन्य सभी प्रकार के अनावर्ती अनुदान | – | 2.00 लाख से अधिक |

**टिप्पणी** :– ऐसा अनुदान जो पहले कभी न दिया गया हो या ऐसे उद्देश्य जिसके लिये पहले अनुदान अभी न दिया गया हो वह चाहे कितनी भी राशि का हो 'नई सेवा' मान्य होगा।

**9. <u>सब्सिडी</u>** :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | खाद्य सब्सिडी | – | 2.00 करोड से अधिक |
| 2. | अन्य सब्सिडी | – | 10.00 लाख से अधिक |

**10. <u>निर्माण कार्य</u>** :–

1. '1' करोड़ से अधिक के प्रत्येक कार्य या एक ही प्रकार के कार्य समूह के लिये जो एक ही प्रकार/आकार के हो तथा एक साथ किये जा रहे हो, नवीन मद होगा।(उदाहरण 100 क्वाटर्स का निर्माण ) यह उन सभी कार्यो पर लागू होगा जो लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, या किसी कार्य विभाग द्वारा किराये जायेंगे। प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग सुनिश्चित करेंगे कि :–

(i) विधानसभा में पारित करने के लिये प्रस्तुत बजट में व्यय की नवीन मदे" विशिष्टतः/स्पष्टतः दर्शायी जावेगी।

(ii) प्रत्योजित वित्तीय अधिकारों के तहत किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रत्येक स्वीकृति आदेश में इस विषयक एक प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि :–

(अ) इस स्वीकृति आदेश में सम्मिलित कोई भी व्यय वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम् आदेशों के अंतर्गत "व्यय की नवीन मद" की श्रेणी मे नहीं आता है अथवा

(ब) इस स्वीकृति आदेश द्वारा स्वीकृत व्यय (विवरण दिये जाये) "व्यय की नवीन मद" की श्रेणी में आते है और इसके लिये

(अ) विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, या

(ब) आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया गया है और

(iii) इस उद्देश्य के लिये समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध हैं।

**11. <u>सामग्री आपूर्ति</u> :–**

सामग्री आपूर्ति मद में क्रय की गयी अनावर्ती सामग्री जो कार्यालय व्यय की श्रेणी में नही आती है, प्रत्येक संस्था के लिये 4.00 लाख से अधिक का व्यय नवीन मद होगा।

**टिप्पणी** :– सामग्री और आपूर्ति के अंतर्गत किये जाने वाले प्रावधान यदि योजना में नवीन मद के रूप में प्रावधानित है तो इन्हे पृथक से नवीन मद की श्रेणी में नहीं रखा जावेगा। जैसे शाला, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल प्रारंभ करने हेतु लगने वाली सामग्री।

**12. <u>मशीने एवं उपकरण</u> :–**

यदि मुख्य बजट/पूरक मांग में मदवार/वस्तुवार बजट प्रावधान किया गया है तो ऐसे कार्य जिनके लिये प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो या जो पिछले वर्षो के बकाया स्वरूप के कार्य हो, के लिये औजार, प्लांट तथा अन्य आवश्यक मशीनों या निर्माण उपकरणों पर होने वाला व्यय "नवीन मद" नही माना जावेगा, चाहे लागत कितनी भी हो। अन्य सभी प्रकरणों में ऐसे क्रय जिनमें व्यय 50.00 लाख से अधिक हो " व्यय की नवीन मद" माने जावेंगे, बजट में व्यय का एक मुश्त अर्थात क्रय किये जाने वाली मशीनों इत्यादि की संख्या किस्म बताये बिना, प्रावधान किया जाना कड़ाई के साथ हतोत्साहित किया जावेगा।

**13.** शासकीय कम्पनियों (सार्वजनिक उपक्रमों सहित) तथा विभागीय उपक्रमों में पूंजी निवेश और दिये जाने वाले ऋण

(अ) नई शासकीय कम्पनी की स्थापना अथवा दो या दो से अधिक शासकीय कम्पनियों का एकीकरण " सेवा की नई मद" होगा।

(ब) किसी वर्तमान उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम में अतिरिक्त पूंजी निवेश अथवा वित्तीय संस्थाओं को दिये गये ऋण निम्नानुसार परिस्थिति में व्यय की नवीन मद होगें :–

यदि गत वित्तीय वर्ष के अंत में उस इकाई में शासन का कुल पूंजी निवेश :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | 5.0 करोड़ से अधिक नही है, | तो एक करोड़ रूपयें से अधिक का प्रस्तावित पूंजीनिवेश "नई सेवा" माना जावेगा। |
| (ii) | 5.0 करोड़ से अधिक किन्तु 15 करोड से अधिक नहीं है, | तो 3.0 करोड़ रूपयें से अधिक का प्रस्तावित पूंजीनिवेश "नई सेवा" माना जावेगा। |
| (iii) | 15 करोड़ से अधिक | तो गत वित्तीय वर्ष के अंत में उस इकाई में कुल पूंजीनिवेश का 15 प्रतिशत या अधिक का प्रस्तावित निवेश "नई सेवा" माना जावेगा |

(स) सभी अल्पावधि ऋण (कार्यशील पूंजी सहित) जिनकी वसूली पांच वर्ष के अंदर की जानी है, "नई सेवा" माने जावेंगे।

**14. <u>निजी कम्पनियों/उपक्रमों में पूंजीनिवेश और उन्हें दिये जाने वाले ऋण</u> :–**

निम्नलिखित को "व्यय की नवीन मद" माना जावेगा :–

(i) निजी कम्पनियों/उपक्रमों में प्रथमबार किया गया पूंजीनिवेश तथा उन्हें प्रथमबार दिये गये ऋण, चाहे राशि कुछ भी हो।

(ii) निजी कम्पनियों/उपक्रमों जिनमें शासन पहले से ही शेयर होल्डर है, में निम्नलिखित रूप में किया गया पूंजीनिवेश तथा दिया गया ऋण–

(अ) 5.00 लाख से अधिक के साधारण शेयरों की खरीदी,

(ब) 10.00 लाख से अधिक के ऋण

(स) शासकीय कम्पनियों द्वारा निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम का गठन नई सेवा माने जावेंगे।

**टिप्पणी** :– किसी निजी कम्पनी के जिसमें शासन पहले से ही शेयर होल्डर है, राइट्स/बोनस शेयरों की खरीदी "नवीन मद" नहीं होगी।

**15. <u>सहकारी संस्थाओं में अंशपूंजी और/या ऋण के रूप में निवेश</u> :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | अपैक्स स्तरीय संस्थाए | – | 1.00 करोड़ से अधिक |
| (ii) | जिला स्तरीय बैंक और सहकारी संस्थाऐं | – | प्रत्येक प्रकरण में 40.00 लाख |
| (iii) | अन्य सभी संस्थाएं | – | प्रत्येक प्रकरण में 5.00 लाख |

**टिप्पणी** :– 10.00 लाख से अधिक के सभी अल्पावधि ऋण " नवीन मद" होंगे जब तक कि :–

(अ) भारत शासन से तत्स्थानी ऋण प्राप्त करने के बाद नहीं दिये गये हो या

(ब) जो तकाबी ऋण के स्वरूप के न हो

**16. <u>स्थानीय निकायों को लोक निर्माण कार्य हेतु ऋण और/या अनुदान</u> :–**

(i) प्रत्येक प्रकरण में 20 लाख से अधिक ऋण तथापि, विधि द्वारा स्थापित किसी स्थानीय <u>संस्था/प्राधिकरण</u> को दिये गए 20 लाख से अधिक के <u>अग्रिम/ऋण</u> जो राज्य शासन की ओर से किसी लोक निर्माण कार्य सम्पन्न करने के लिये दिये गये हो, " व्यय की नवीन मद" नहीं होगें।

(ii) प्रत्येक प्रकरण में 10.00 लाख से अधिक के अनुदान।

**17. <u>स्थानीय संस्थायें/व्यक्ति आदि को दिये गये ऋण और अग्रिम</u> :–**

(i) प्रत्येक प्रकरण में 25 लाख से अधिक जब ऋण ब्याज सहित हो और प्रथम बार दिया गया हो तथा जब ऋण ब्याज रहित हो तो 5.00 लाख से अधिक के सभी प्रकरण।

(ii) कोई ऋण जो इस प्रकार का हो कि पूर्व में कभी न दिया गया हो, चाहे कितनी भी राशि का हो नवीन मद होगा।

**18. <u>नई योजनाए</u> :–**

कोई भी नई योजना जो ऊपर पैरा (1) से (17) के बीच न आई हो, नवीन मद होगा।

**19. <u>सामान्य</u> :–**

(एक) किसी योजना को जिसके लिये बजट में "नई सेवा" के रूप में प्रावधान रखा गया हो लेकिन उसको उसी वर्ष के दौरान क्रियान्वित न किया जा सका हो, अगर उसे अगले वर्ष में हाथ में लिया जाता है तो सिर्फ इसलिये ही उसे "नई सेवा" नही माना लिया जायेगा।

(दो) फर्नीचर, उपकरण, मोटर वाहनों और मशीनों के प्रतिस्थापन "नई सेवा" न होगे।

**20. <u>सेवा के वर्गीकरण तथा प्रकार में तब्दीली</u> :–**

(क) जहां व्यय किसी वर्तमान सेवा पर किया जाना हो लेकिन बजट प्रावधान गलती से किसी दूसरे शीर्ष के अधीन रखा दिया गया हो अथवा लेखावर्गीकरण में तब्दीली के कारण व्यय को दूसरे शीर्ष के अधीन करना पड़ा हो, वहॉ ऐसा व्यय "नई सेवा" न होगा।

(ब) जहां "राजस्व" के अधीन प्रावधान समर्पित कर दिये जायें और उतना ही व्यय "पूंजी" के अधीन किया जाना प्रस्तावित हो अथवा इसका विषय हो तो उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 19 तक के अनुदेश यह निश्चित करने के लिए लागू किए जाऐंगें कि क्या प्रस्तावित व्यय "नई मद" है या नहीं।

2. "नई सेवा के उपर्युक्त पुनरीक्षित मापदण्ड, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (संघटन एवं कार्यप्रणाली) के ज्ञापन क्रमांक 221–141–एक–ओ. एण्ड एम. दिनांक 19 नवम्बर 1959 द्वारा जारी किये गये आदेशों के पैरा 3 के स्थान पर स्थापित होंगे, उस ज्ञापन के अन्य पैराग्राफों में अंतर्विष्ट आदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

3. ये अनुदेश आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(अजय सिंह)**
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,वित्त विभाग,

पृ0क्र./826/एल–6/2/ब–4/चार, रायपुर, दिनांक 13 मई 2011

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाअधिवक्ता/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ रायपुर।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
8. मुख्य सचिव, के स्टॉफ ऑफीसर, मंत्रालय, रायपुर।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर मंत्रालय रायपुर।
10. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर।
13. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
14. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय रायपुर।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़।
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़।
19. संचालक शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़।
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

–सही–

**(प्रशांत लाल)**

शोध अधिकारी,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक / 3845 / तशा / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 11 रायपुर, दिनांक 09 / 06 / 2011

प्रति,

समस्त कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
सिविल / परियोजना / मेकेनिकल
खंड .....

**विषय :–वर्षा ऋतु के प्रारंभ के पूर्व पेयजल प्रदाय व्यवस्था का उचित रख–रखाव हेतु दिशा निर्देश।**

–00–

जैसा कि आप जानते है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है एवं इस ऋतु में दूषित जल और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की आशंका बढ़ जाती हैं। अतः पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जावें एवं पेयजल के प्रत्येक स्त्रोत को दूषित होने से बचाने का भरसक प्रयास किये जावे। इस बाबत् विशेष तौर पर निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जावें :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों की नलजल योजनाओं के लिए भी पंचायत को सुझाव दे कि वे क्लोरिन / ब्लीचिंग पाउडर की समुचित मात्रा इन जल प्रदाय हेतु उपलब्ध रखे तथा इसका टंकी / वितरण प्रणाली आदि में समुचित मात्रा में नियमित रूप से मिलाया जाना आवश्यक हैं। ब्लीचिंग पाउडर को उचित रूप से भंडारन किया जावें जिससे प्रभावी गुण नष्ट न हो।
2. सभी स्थानीय निकार्यो को सुझाव देवे कि वे उनके अधीनस्थ सभी जल प्रदाय गृहों के स्त्रोत, संयंत्र, टंकी एवं वितरण प्रणाली तत्काल निरीक्षण कर उपचार हेतु आवश्यक सभी सामग्रियों तथा रसायनों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। नगरीय क्षेत्र के वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर लगभग 0.2 से 0.5 पी.पी.एम. रेसिड्यूएल क्लोरिन पायी जाती रहे, सुनिश्चित कर लिया जावे।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप के आस–पास गंदगी, कीचड़ आदि जमा न होने पावे एवं पर्याप्त साफ–सफाई रखी जावें। इस कार्य में जन सहयोग हेतु समुचित प्रचार–प्रसार किया जावें।
4. कई स्थानों पर हैण्डपंपों के प्लेटफार्म एवं विकास नाली या तो निर्मित है या टूटे–फूटे हैं। ऐसी स्थिति में हैण्डपंपों के आस–पास की गंदगी मिट्टी से रिसकर भू–जल को प्रदूषित कर सकती हैं। अतः हैण्डपंपों के आस–पास आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराया जावें। मिट्टी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के हैण्डपंपों के आस–पास क्षेत्रों पर सुधार कार्य हेतु विशेष ध्यान दिया जावे, जहाँ गंदा पानी रिसकर भू–जल को अधिक प्रदूषित कर सकता हैं।



क्रमश..2..

5. जिलों के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से ग्रामीण जनता को यह समझाईश दी जावें कि वे खेतों में काम करने के लिए जाते समय नलकूप अथवा स्वच्छ कुओं का पानी ही साथ ले जावे एवं पीने हेतु उपयोग करें।

6. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी यह सुझाव देवे कि वे निजी एवं सार्वजनिक कुओं एवं झिरियों इत्यादि में Disinfection की कार्यवाही की जावें।

7. हैण्डपंप सुधार हेतु लगने वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित कर लिया जावें।

8. विभागीय अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के साथ सतत संपर्क में रहे तथा दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों की स्थिति/आशंका में तत्काल पेयजल गुणवत्ता का सुरक्षित बहाल करने हेतु परीक्षण/उपचार आदि करें।

9. विभिन्न स्थानों के पेयजल नमूनों का एकत्र करवाकर प्रयोग शालाओं में नियमित रूप से परीक्षण करवायें।

**–सही–**
**प्रमुख अभियंता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

पृ0क्र./3846/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./11 रायपुर, दिनांक 09/06/2011

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव (राहत) छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय राजस्व विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर, अंबिकापुर एवं (वि./यॉ.) मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**–सही–**
**प्रमुख अभियंता**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,**
**छत्तीसगढ़, रायपुर**

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
# छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/4829/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./11 रायपुर, दिनांक 01 /08/2011

प्रति,

**मुख्य अभियंता,**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र बिलासपुर/रायपुर।

**विषय :–शालाओं में जलप्रदाय व्यवस्था हेतु कम्पोजिट पाईपों का उपयोग के संबंध में।**

–00–

विषयांतर्गत ISI मार्क IS:1545:2004 कम्पोजिट पाइप (PE:AL:PE) की उपयोगिता के संबंध में कार्यपालन अभियंता, खण्ड धमतरी द्वारा जानकारी दी गई हैं।

शालाओं में जलप्रदाय व्यवस्था के लिए आई.एस.आई. मार्क अन्य पाईप के अतिरिक्त ISI मार्क IS:15450:2004 कम्पोजिट पाइप (PE:AL:PE) का उपयोग भी नियमानुसार किया जावें।

सहपत्रः– शून्य।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0क्र./ /ले.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./10 रायपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,.....(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

–सही–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

**आर.एस. विश्वकर्मा**
**आई.ए.एस.**
**सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**वित्त विभाग**
**विमानन विभाग**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

**कक्ष क्र. 254, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय**
**मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0) फोन: 0771–4080254**
**फैक्स : 0771–2221254**
**ई–मेल का पता : vkaramars@ias.nic.in**
**अर्ध शास. पत्र क्र. 94 , वि.वि.लो.स्वा.यां 201**
**दिनांक 06.08.2011**

स्थाई निर्देश
स0 1/2011

प्रति,

**प्रमुख अभियंता,**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
नीर भवन, रायपुर।

**विषय :–संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने में तत्परता बरतने के निर्देश।**

–00–

अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान मैने पाया है कि प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक के टेण्डर आने के बाद भी व कार्य के प्रस्ताव रखने के बाद भी कार्यपालन अभियंता द्वारा समय पर संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रस्ताव शासन को अथवा सक्षम अधिकारी को नहीं भेजे जा रहे हैं। लोक निर्माण नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रशासकीय स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक की राशि होने पर कार्य की इसे तत्काल प्रशासकीय संशोधित स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। समय पर संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने से कार्य में अनावश्यक विलंब होता है व कार्य लागत बढ़ती हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हे कि 02 माह के भीतर ऐसे सभी मामले जिसमें संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है उसे सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करा लेवें तथा जिन कार्यपालन यंत्री द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जा रही हैं व उदासीनता बरती जा रही है उसकी समीक्षा कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।

–सही–
(आर0एस0 विश्वकर्मा)

पृष्ठांकन क्र./ 75/स0लो0स्वा0यां0/2011/ रायपुर, दिनांक 06/08/2011

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, रायपुर, बिलासपुर।
2. मुख्य अभियंता, विद्युत/यांत्रिकी रायपुर
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

–सही–
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

**आर.एस. विश्वकर्मा**
**आई.ए.एस.**
**सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
विमानन विभाग
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कक्ष क्र. 254, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय
मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0) फोनः 0771–4080254
फैक्स : 0771–2221254
ई–मेल का पता : vkaramars@ias.nic.in
अर्ध शास. पत्र क्र. 96, वि.वि.लो.स्वा.यां 201
दिनांक 06.08.2011

स्थाई निर्देश
स0 2/2011

प्रति,

**प्रमुख अभियंता,**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
नीर भवन, रायपुर।

**विषय :–विभिन्न कार्यो के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में जारी स्थाई निर्देश के संबंध में।**

–00–

लोक निर्माण नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इसका कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा सभी क्लेम उसके पूर्व सभी निराकृत होना चाहिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना पूर्ण की जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा हैं। जिससे कई कार्य खुले है तथा यह स्पष्ट नहीं होता है कि विभाग ने कितने काम पूर्ण किये है तथा कितने हस्तांतरित हो गये हैं।

छोटी मोटी कमियों के कारण योजना स्थानीय निकायों, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं की जा रही है। ऐसी योजना जिनके कार्य पूर्ण हो गये है उन्हें विभाग प्राथमिकता से हरतांतरित करें तथा प्रति माह प्रमुख अभियंता निर्धारित 23 कॉलम के प्रोफार्मा में भेजे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

–सही–
(आर0एस0 विश्वकर्मा)

पृष्ठांकन क्र. / 97 / स0लो0स्वा0यां0 / 2011 /

रायपुर, दिनांक 05 / 08 / 2011

प्रतिलिपि :–

1. मान0 मंत्री जी के विशेष सहायक की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, रायपुर, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, विद्युत / यांत्रिकी रायपुर
4. समस्त अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़
5. समस्त कार्यपालन अभियंता खंड / परियोजना खंड
6. कार्यालय प्रमुख अभियंता (MIS शाखा रायपुर)
7. परिपत्र फाईल में लगने हेतु
8. कार्यालयीन प्रति।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

–सही–

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,